BCCI BULLETIN

Vol. XXXXIX | April 2018 | No. 3

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर की कार्यकारिणी समिति की बैठक बोधगया में सम्पन्न

कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित बिहार चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉ० कौशलेन्द्र प्रताप, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री नन्हे कुमार, श्री सच्चिदानन्द, श्री राजीव अग्रवाल। दाँयीं ओर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री रामचन्द्र प्रसाद एवं श्री बी० के० सुरेका।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 8 अप्रील 2018 को होटल डेल्टा इन्टरनेशनल में सम्पन्न हुई। सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गया एवं होटल एसोसियेशन, बोधगया ने संयुक्त रूप से चैम्बर की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया था।

कार्यकारिणी समिति को संबोधित करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की कार्यकारिणी की बैठक की बोधगया में मेजवानी (Host) करने के लिए सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गया के अध्यक्ष डॉ० कौशलेन्द्र प्रताप एवं होटल एसोसियेशन, बोधगया के अध्यक्ष श्री जय सिंह के प्रति एवं इन दोनों संगठनों के सदस्यों के प्रति मैं अपनी ओर से एवं कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ एवं धन्यवाद देता हूँ।

इसके साथ ही अध्यक्ष ने कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को भी विशेष धन्यवाद दिया जो अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद अपना बहुमूल्य समय निकाल कर बोधगया आये और बैठक में सम्मिलित हुए।

उन्होंने पिछली कार्यकारिणी की बैठक से 8.04.2018 की बैठक के बीच में चैम्बर की बैठकों एवं कार्यक्रमों के बारे में सदस्यों को संक्षिप्त में निम्नानुसार अवगत कराया :-

1. दिनांक 19 फरवरी 2018 को माननीय श्रम संसाधान मंत्री की अध्यक्षता में बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त) विधेयक, 2017 के प्रारूप पर मंतव्य हेतु एक बैठक हुई जिसमें चैम्बर की ओर से एक विस्तृत सुझाव दिया गया है जिसकी जानकारी आपलोगों को भी ईमेल के माध्यम से दी गई थी। इस बैठक में चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी भाग लिए थे साथ ही विभिन्न व्यावसायिक संगठनों से भी सुझाव लिया गया था ।
2. दिनांक 20 फरवरी 2018 को माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठक होटल चाणक्या में हुई थी जिसमें मैने भाग लिया। बैठक में सिक्का का मामला उठाया गया जिसपर माननीय उप मुख्यमंत्री ने बैंकों को निर्देश दिया कि सभी बैंक शाखाएं तो सिक्का जमा ले ही, साथ ही हर जिले में सिक्के जमा लेने के लिए एक विशेष शाखा चिन्हित किया जाए। चैम्बर इस निर्णय के कार्यान्वयन हेतु सतत् रूप से प्रयत्नशील है ।
3. आपको विदित है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी को Form के Simplification हेतु GST Council ने Group of Ministers का Convenor बनाया है । इस संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री ने Infosys के श्री नन्दन निलेकानी से सुझाव मांगा था जिसमें एक बिन्दु पर मत भिन्नता है क्योंकि श्री निलेकानी चाहते हैं कि Sale के Invoice को Portal पर

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

विक्रम सम्वत् 2075 की शुभकामनाओं के साथ नये वित्तीय वर्ष में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा है आप सब नववर्ष में नये व्यावसायिक गतिविधियों में लगे होंगे।

हाल के दिनों में ऐसा प्रतीत होता है कि अपने प्रांत में बैंकिंग व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। एक तरफ कई सारे एटीएम में नकदी का नही रहना तो दूसरी ओर बैंकों में पर्याप्त नोटों की अनुपलब्धता, बैंकिंग व्यवसाय पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इससे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है साथ ही साथ सिक्कों को बहुतायत में जारी किया जाना और वापस जमा नहीं लेना भी समस्या खड़ी कर रहा है। सबको ज्ञात है कि छोटे व्यवसायी ज्यादा कारोबार नकदी में ही करते हैं।

चैम्बर ने इस समस्या के संबंध में माननीय वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली, माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री उर्जित पटेल एवं सचिव, वित्तीय सेवायें विभाग, भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था, परन्तु उस पर ससमय समुचित कारवाई के अभाव में यह समस्या इतनी गंभीर हो गयी।

केन्द्र सरकार के कारपोरेट मंत्रालय द्वारा हाल ही में ''राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिव्यूनल'' (एनसीएलटी) के पीठों की संख्या दुगनी करने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। चैम्बर की ओर से इसकी एक पीठ की स्थापना पटना (बिहार) में भी करने की माँग की गयी है।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए विद्युत दर में वृद्धि की गयी है। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत देने हेतु मंत्रिमंडल ने सब्सिडी देने की घोषणा की है जो एक स्वागतयोग्य कदम है परन्तु हाई टेंशन विद्युत उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नही दिया गया है। चैम्बर की ओर से हम प्रयासरत हैं कि हाई टेंशन विद्युत उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी मिले।

सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गया एवं होटल एसोसियेशन, बोधगया के विशेष अनुरोध पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 8 अप्रील 2018 को होटल डेल्टा इन्टरनेशनल, बोधगया में हुई। उनकी व्यवस्था काफी अच्छी थी। कार्यकारिणी समिति की बैठक के अतिरिक्त स्थानीय व्यवसायियों के साथ भी एक बैठक हुई। बोधगया पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ उद्योग की असीम संभावनाएँ हैं। इसके बावजूद आधारभूत संरचना की कमी है। होटल व्यवसायियों की भी काफी समस्याएँ हैं। इन समस्याओं को सरकार तक पहुँचाया जायेगा ताकि समस्याओं का समाधान हो सके।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी का पुनः बिहार विधान परिषद सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचन के लिए मैं अपनी ओर से एवं बिहार के समस्त व्यवसायियों की ओर से बधाई देता हूँ।

आपका

पी० के० अग्रवाल

संयुक्त बैठक को संबोधित करते बिहार चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। मंचासीन (दाँयें से बाँयें) होटल एसोसिएशन के संरक्षक श्री विजय कुमार, होटल एसोसिएशन के महामंत्री श्री संजय सिंह, स्थानीय विधायक एवं होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री कुमार सर्वजीत, बिहार चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, सेन्ट्रल बिहार चैम्बर के अध्यक्ष डॉ० कौशलेन्द्र प्रताप एवं सेन्ट्रल बिहार चैम्बर के महामंत्री श्री प्रमोद भदानी।

Upload किया जाए एवं उसी के Basis पर Purchaser को ITC मिल जाएगा लेकिन कुछ सदस्यों में मत भिन्नता है। इसी सन्दर्भ में दिनांक 21 फरवरी 2018 को माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में एक बैठक उनके कार्यालय कक्ष में हुई थी जिसमें चैम्बर की ओर से मैं एवं श्री नवीन कुमार मोटानी, श्री राजेश खेतान, श्री सुनील सराफ एवं श्री डी० बी० गुप्ता सम्मिलित हुए थे।

4. दिनांक 28 फरवरी 2018 को चैम्बर प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें चैम्बर सदस्यों के साथ-साथ काफी संख्या में अन्य गणमान्य लोग सम्मिलित हुए एवं एक-दूसरे को होली की बधाईयाँ दी।

5. दिनांक 5 मार्च 2018 को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखंड) की अध्यक्षता में एक बैठक राजस्व भवन में हुई थी। साथ ही दिनांक 17 मार्च 2018 को आयकर विभाग की ओर से एक Seminar का आयोजन किया गया जिसका विषय था Provision of Income Tax and Tax liability of the land holders जिसमें चैम्बर की ओर से मेरे साथ उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर सम्मिलित हुए।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल को विष्णु चरण एवं बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित करते सेन्ट्रल बिहार चैम्बर के अध्यक्ष डॉ० कौशलेन्द्र प्रताप।

6. दिनांक 8 मार्च 2018 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चैम्बर प्रांगण में चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की महिलाओं के उत्साह को बढ़ाने हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज तथा भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (खाद्य एवं पोषण बोर्ड), सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई, पटना के संयुक्त तत्वावधान में क्वीज एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन के साथ-साथ महिलाओं को पौष्टिक लड्डू, मिस्सी रोटी एवं शिशु आहार बनाने के बारे में जानकारी दी गई।

सेन्ट्रल बिहार चैम्बर के अध्यक्ष डॉ० कौशलेन्द्र प्रताप को मेमेंटो भेंट कर सम्मानित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

7. दिनांक 16 मार्च 2018 को प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद की बैठक नियोजन भवन में हुई थी जिसमें चैम्बर की ओर से महामंत्री श्री अमित मुखर्जी भाग लिए थे। दिनांक 1 अप्रील 2018 से निम्नांकित दरें निर्धारित की गई है जो निम्नानुसार है :-

		पूर्व में	वृद्धि	1.4.18 से देय
1.	अकुशल (Unskilled)	247/-	7/-	254/- प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल (Semi skilled)	257/-	8/-	265/- प्रतिदिन
3.	कुशल (Skilled)	313/-	9/-	322/- प्रतिदिन
4.	अतिकुशल (Highly Skilled)	381/-	11/-	392/- प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय (Supervisory/Clerical)	7074/-	212/-	7286/- प्रतिमाह

8. दिनांक 16 मार्च 2018 को ही भारत सरकार के निर्यात बन्धु स्कीम एवं निर्यात से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श हेतु एक बैठक भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उप महानिदेशक विदेश व्यापार के साथ चैम्बर प्रांगण में हुई थी।

9. दिनांक 21 मार्च 2018 को बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से वर्ष 2018-19 के लिए नई विद्युत दर की घोषणा हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें चैम्बर की ओर से श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री संजय भरतिया सम्मिलित हुए थे। डी.एस II श्रेणी जिसके अन्तर्गत आम शहरी उपभोक्ताओं का सबसे बड़ा वर्ग आता है, के प्रत्येक श्रेणी में 45 पैसा प्रति यूनिट यानि ओवर ऑल 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई जबकि व्यवसायिक/वाणिज्यिक संस्थानों हेतु एलटीआईएस की श्रेणी के साथ-साथ औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु एचटी श्रेणी में 9.29 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । Tariff Shedule की प्रति आपके फोल्डर में संलग्न है।

10. दिनांक 21 मार्च 2018 को ही वाणिज्य-कर विभाग की ओर से माल और सेवा-कर के अन्तर्गत प्रस्तावित नेशनल ई-वे बिल से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन चैम्बर प्रांगण में किया गया था जिसमें Power Point Presentation के माध्यम से सदस्यों को जानकारी दी गई ।

स्थानीय विधायक एवं होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री सर्वजीत कुमार (दाँयें से दूसरे) को कॉफी टेबुल बुकभेंटकर सम्मानित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं सेन्ट्रल बिहार चैम्बर के अध्यक्ष डॉ० कौशलेन्द्र प्रताप।

11. दिनांक 1 अप्रील 2018 को National E-Way bill के आरम्भ पर विचार-विमर्श हेतु माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता एक बैठक मुख्य सचिवालय स्थित सभाकक्ष में हुई थी जिसमें चैम्बर की ओर से मेरे साथ उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री मनोज डालमिया, श्री राजेश खेतान, श्री सुनील सर्राफ एवं श्री आलोक पोद्दार सम्मिलित

होटल एसोसिएशन के महामंत्री श्री संजय सिंह को मेमेंटो भेंट कर सम्मानित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में सेन्ट्रल बिहार चैम्बर के अध्यक्ष डॉ० कौशलेन्द्र प्रताप।

हुए। इस बैठक में और भी कई व्यवसायिक संगठनों के पदाधिकारीगण सम्मिलित हुए।

इसके उपरान्त कार्यावली के विभिन्न विन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

इस बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी। **कार्यकारिणी सदस्यों** में सर्वश्री किशोर कुमार अग्रवाल, राजकुमार सराफ, राजीव अग्रवाल, सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा, हरीष राज, राजेश कुमार अग्रवाल ''मखरिया'', श्री रमेश कुमार सुरेका। **उप-समिति के संयोजक, सह-संयोजकों** में सर्वश्री सुभाष कुमार पटवारी, गणेश कुमार खेतड़ीवाल, रामचन्द्र प्रसाद, सुबोध कुमार जैन एवं आलोक पोद्दार। **स्थाई आमंत्रितों** में सर्वश्री जयदीप जैन, सच्चिदानन्द, नन्हें कुमार, पशुपतिनाथ पांडेय, अशोक कुमार, ए० एम० अंसारी, डॉ. कौशलेन्द्र प्रताप (अध्यक्ष, सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स), अग्रवाल यशपाल, रंजीत प्रसाद सिंह, भरत लाल गुप्ता, कमल कुमार बोथरा, सुबोध कुमार, स्वदेश कुमार, राजेन्द्र अग्रवाल एवं श्री विष्णु कुमार सुरेका उपस्थित थे।

सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉ० कौशलेन्द्र प्रताप ने बैठक में कहा कि दो-तीन माह पूर्व बिहार चैम्बर की कार्यकारिणी समिति की बैठक में मैंने ही श्री पी.के. अग्रवाल, अध्यक्ष जी से कार्यकारिणी समिति की बैठक बोधगया में कराने का आग्रह किया था, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दी थी। उन्होंने कहा कि हमारे अनुरोध को स्वीकार कर आप सभी को अपने बीच पाकर काफी प्रसन्नता हो रही है।

उन्होंने सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों एवं अपनी ओर से बोधगया आने के लिए सभी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

कार्यकारिणी समिति की बैठक के उपरान्त बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं होटल एसोसियेशन, बोधगया की एक संयुक्त बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता बिहार चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने की।

इस बैठक में उपस्थित स्थानीय विधायक एवं होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि होटल व्यवसाय पर्यटन के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। बोधगया वर्ल्ड हेरिटेज की श्रेणी में होने के बावजूद इस क्षेत्र का विकास किन कारणों से समुचित स्तर तक नहीं हो पाया, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। माननीय विधायक ने कहा कि गया में पूर्व में स्टील प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का निर्णय हुआ था। वह अभी तक मूर्त्त रूप नहीं ले सका है।

होटल एसोसियेशन के महामंत्री श्री संजय सिंह ने कहा कि होटल व्यवसाय को टूरिज्म सेक्टर के तहत हॉस्पिटेलिटी से जुड़ा माना जाता है लेकिन सरकार की नीति के कारण बोधगया का होटल सेक्टर बदतर स्थिति में है। संभावनाओं के बावजूद होटल व्यवसाय को पटरी पर लाना काफी कठिन हो रहा है।

सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष श्री अनूप केडिया ने जीएसटी में तकनीकी कठिनाइयों, पर्यटन के विकास के लिए आधाारभूत संरचना की कमी, होटल व्यवसाय की समस्या, नये ट्रैफिक सिस्टम से परेशानी आदि के बारे में चर्चा की एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इन समस्याओं के निराकरण का आग्रह किया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने व्यवसायियों की समस्याओं को सुनने के पश्चात कहा कि गया और बोधगया का पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योगों की यहाँ असीम संभावनाएँ हैं। इसके बावजूद आधारभूत संरचना की कमी है। होटल व्यवसायियों को भी काफी कठिनाइयाँ हैं। फिर भी होटल व्यवसायी अपने स्तर पर विश्वस्तरीय सुविधा देने हेतु जी जान से लगे हैं।

श्री अग्रवाल ने कहा कि हाल ही में चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका के दौरे पर गया था जहाँ बोधगया के पर्यटन विकास पर चर्चा हुई थी। पिछले महीने बिहार में उद्योग एवं व्यापार के विकास हेतु संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल जापान गया था। वहाँ भी बिहार में पर्यटन उद्योग के संवर्धन हेतु विस्तृत चर्चा हुई थी।

जीएसटी के संबंध में चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि इसे करदाताओं के अनुकूल बनाने की जरूरत है, जीएसटी को लेकर जो शंका अभी भी व्यवसायियों में है उसे लेकर सरकार से बात की जायेगी।

चैम्बर अध्यक्ष ने अन्य समस्याओं पर भी गंभीरता से विचार करने और समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि चैम्बर का सरकार की विभिन्न सलाहकार समितियों में प्रतिनिधित्व है। उन प्रतिनिधियों के माध्यम से भी यहाँ की समस्याओं को रखा जायेगा और निराकरण का पूर्ण प्रयास किया जायेगा।

इस बैठक में बिहार चैम्बर के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के सदस्यगण के अलावे सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉ० कौशलेन्द्र प्रताप, महामंत्री श्री प्रमोद भदानी, पूर्व अध्यक्ष श्री आलोक नंदन, श्री शिव कैलाश डालमियाँ, श्री हरि प्रकाश केजरीवाल, श्री बाल कृष्ण भारद्वाज, श्री विपेन्द्र अग्रवाल, श्री शिरीष प्रकाश तथा होटल ऐसोसियेशन के संरक्षक विजय कुमार सहित स्थानीय व्यवसायी एवं मीडिया कर्मी काफी संख्या में उपस्थित थे।

इस अवसर पर बिहार चैम्बर की ओर से सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों, भूतपूर्व अध्यक्षों एवं होटल ऐसोसियेशन, बोधगया के अध्यक्ष एवं महामंत्री को चैम्बर अध्यक्ष ने मेमेंटो, चैम्बर के 90 वर्ष पूरा होन के उपलक्ष्य में तैयार किया गया मेमेन्टो एवं कॉफी टेबुल बुक भेंट कर सम्मानित किया।

सेन्ट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से भी बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को विष्णुचरण की फोटो एवं बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया।

बैठक के पश्चात सदस्यों को महाबोधी मंदिर का परिभ्रमण कराया गया। मंदिर परिसर में आशीर्वाद स्वरूप सदस्यों को खादा भेंट कर सम्मानित किया गया।

तत्पश्चात बिहार चैम्बर के सदस्यगण पटना हेतु प्रस्थान किये।

Chamber wants NH 30 toll tax to be split in two parts

BCCI PRESIDENT P. K. AGRAWAL SAID THAT COLLECTING FULL AMOUNT EVEN FOR TRAVELLING A SHORTER DISTANCE IS AN ANOMALY THAT NEEDS TO BE CORRECTED AT THE EARLIEST

Prompted by the state government's decision to abolish toll charges, beginning April 1, the Bihar chamber of Commerce & Industries (BCCI) has demanded that the Union ministry for surface transport should rationalise the toll tax for short-distance travel on NH 30 by splitting the stipulated levy into two parts.

Up till now, anyone travelling on the NH 30 route- either for onward journey from Patna to Bakhtiyarpur (full 50 km) or for taking the shorter route to Bihar sharif from Fatuha- have to shell out the full charge fixed for different category of vehicles.

This has been a sore point for commuters and transporters alike as the distance from old Deedarganj Check Post to Fatuha is less than 20 km. But as the new NH 30 helps in avoiding the bottlenecks on the old route to Fatuha, people invariably make it a point to take the well maintained four-lane stretch.

Chamber President P. K. Agrawal said that collecting full amount even for travelling a shorter distance is an anomaly that needs to be corrected at the earliest. "We have been receiving complaints from members for quite some time. It does not impact only business activities, including travel and transport, but is also hard on the pocket of the ordinary commuter." he said.

Expressing unhappiness, Agrawal said the chamber has taken up the matter with Union minister of road transport, highways and shipping Nitin Gadkari that the toll collection on Patna to Bakhtiyarpur (NH30) be divided into two parts for safeguarding interests of those travelling on it for a much shorter distance.

In its suggestion, the chamber has maintained that the charge should be split in two parts- one for less than 25 Km travel and, two, for 50 km.

Exuding hope of an early resolution, Agrawal said "the minister has taken cognizance of our representation and forwarded it to joint secretary (toll) for necessary action." **(The Times of India, 13.4.2018)**

ध्वस्त हो गई है बैंकिंग व्यवस्था : पी. के. अग्रवाल

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने पटना के साथ ही बिहार के विभिन्न जिलों में बैंकों के एटीएम और शाखाओं में नकदी नहीं मिलने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि लगता है बिहार में बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। चैम्बर ने बैंकों के ग्राहक सेवा पर भी सवाल उठाया है।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवास ने कहा है कि भागलपुर, मगध, दरभंगा, पटना आदि जगहों से नकदी की किल्लत की सूचना मिल रही है। एटीएम से लोग खाली हाथ लौट रहे हैं, बैंक शाखाओं में भी नोट नहीं मिल रहे हैं। इससे व्यवसाय तो बुरी तरह से प्रभावित हो ही रहा है आम लोग भी परेशान हैं। अग्रवाल ने कहा है कि बिहार में छोटे व्यवसायी अधिक हैं, और वे नकदी में ही ज्यादा कारोबार करते हैं। ऐसे व्यवसायी ठीक से अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। अब वैवाहिक सीजन शुरू होने वाला है। अगर बैंकों की यही स्थिति रही तो कारोबार बेपटरी हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि बिना कोई सूचना दिए बैंक सेवा के नाम पर खाते से कटौती कर रहे हैं, जबकि नकदी की उपलब्धता तक सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। चैम्बर अध्यक्ष ने केन्द्रीय वित्त मंत्री, आरबीआइ के गवर्नर, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग के सचिव, बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से अनुरोध किया है कि बिहार के उद्यमियों और आम लोगों को हो रही असुविधा को देखते हुए बैंकिंग व्यवस्था को अक्लिंब सुचारू किया जाए। **(साभार : दैनिक जागरण, 13.4.2018)**

CHAMBER RINGS CASH ALARM

Currency shortage in ATMs across Bihar has badly hit the business community.

The state's biggest organisation of trade and industry, the Bihar Chamber of Commerce & Industries, has expressed grave concern over the situation and said that the cash crunch is badly affecting business activities in Bihar.

Chamber President P. K. Agarwal said that he had written a letter to Union Finance Minister Arun Jaitley, RBI goveror Urjit Patel, the Union secretary of financial services, and the Bihar deputy chief minister, requesting them to take measures in the interest of business and trade in Bihar and the people of the state.

"I have been receiving information from different parts of the state like Bhagalpur, Darbhanga, Magadh, Patna, etc, that people are returning empty-handed from ATMs and bank counters due to shortage of currency. Business is badly affected and customers are suffering" Agarwal said.

He pointed out that majority of businessmen in Bihar deal in cash.

"The wedding season is also going to start soon and if the current situation prevails, the people of Bihar are going to suffer. For security reasons people keep less cash with them and prefer to withdraw cash from ATMs as per their requirement," Agarwal said. "Currently, customers are running from one ATM to another only to be told by security guards that the machines are dry."

The business community has alleged that while banks are deducting various charges in the name of providing services, the customers can't even withdraw their own money from the ATMs, and banks must take steps to streamline the banking system in Bihar which has virtually collapsed. Many businessmen resented that banks are not even coming up with any assurance or clarification on when the situation will normalise.

Privately, bankers are pointing out towards the new Rs. 200 notes.

" ATMs have to be readjusted for keeping Rs.200 notes. Since ATMs are maintained by private agencies with inadequate work force, the process is slow, " a banker said under cover of anonymity.

(Source : The Telegraph, 13.4.2018)

कंपनी कानून ट्रिब्यूनल की पटना में भी हो बेंच : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने पीठों की संख्या दोगुनी करने के प्रस्ताव का किया स्वागत, केन्द्रीय मंत्री को भेजा पत्र

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की पीठों की संख्या दोगुनी करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। साथ ही बिहार की राजधानी पटना में भी एक बेंच स्थापित करने की मांग की है।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के आग्रवाल ने कहा है कि भारत सरकार के कार्पोरेट मंत्रालय के सचिव की ओर से घोषणा की गई है कि कंपनियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए एनसीएलटी पीठों की संख्या को दोगुनी करने की तैयारी कर रही है। इससे बड़ी राहत मिलेगी। चैम्बर की ओर से कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि एनसीएलटी की एक बेंच बिहार के पटना में भी स्थापित हो क्योंकि फिलहाल कंपनी से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए यहाँ के उद्यमियों को कोलकाता जाना पड़ता है। इससे समय अधिक लगता है, और खर्च भी ज्यादा होता है। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी पटना में बेंच स्थापित करने के लिए चैम्बर की ओर से अनुरोध किया गया है। **(साभार : दैनिक जागरण, 12.4.2018)**

नयी कृषि निर्यात नीति में बिहारी उत्पादों को करें समाहित: अग्रवाल

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भारत सरकार द्वारा बनायी जा रही नई कृषि निर्यात नीति 2018 के प्रारूप में बिहार के मात्र एक जिला मुजफ्फरपुर में उत्पादित लीची को ही समाहित किये जाने का स्वागत करते हुए बिहार के और जिलों को भी इसमें समाहित करने की मांग की है, क्योंकि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जिसमें बड़े पैमाने पर बेहत्तर गुणवत्ता के फल एवं सब्जियों का उत्पादन होता है।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकर से मांग किया गया है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में उत्पादित लीची के अतिरिक्त अन्य जिले यथा-भागलपुर, वैशाली, बक्सर एवं नालन्दा में उत्पादि वस्तुएं यथा- आम, केला, टमाटर, अनानास एवं आलू जैसे प्रमुख वस्तुओं को भी नई कृषि निर्यात नीति 2018 में समाहित किया जाए। यदि इनके उपज को निर्यात की सूची में समाहित किया जाए तो इस क्षेत्र के किसानों का कायाकल्प हो सकता है। इसी उद्देश्य से चैम्बर अध्यक्ष ने सुरेश प्रभु, केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि बिहार के भागलपुर, वैशाली, बक्सर एवं नालन्दा जिलों में उत्पादित वस्तुओं को भी भारत सरकार द्वारा बनाए जानेवाली नई कृषि निर्यात नीति 2018 में समाहित किया जाए जिससे कि उस क्षेत्र के अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल एवं उनका आर्थिक उत्थान संभव हो सके। **(साभार : आज, 8.4.2018)**

बंद चीनी मिलों की जमीन जल्द देने की मांग

• राज्य सरकार ने 7 चीनी मिलें बियाडा को सौंपने की जताई थी इच्छा • राज्य के अलग-अलग जिलों में स्थित इन मिलों का परिचालन पिछले 20 से 25 सालों से है बंद • जमीन की किल्ल्त से कई निवेश प्रस्ताव नहीं आ पाए अमल में

बिहार के उद्योग संघों ने राज्य सरकार से जल्द से जल्द बंद पड़ी चीनी मिलों को निवेश के लिए खोलने का आग्रह किया है। उन्हें इस प्रक्रिया से कम से कम 2,300 एकड़ जमीन मिलने की उम्मीद है। उनके मुताबिक इससे राज्य में निवेश को भी रफ्तार मिलेगी।

दरअसल, राज्य सरकार ने पिछले दिनों अपनी बंद पड़ी 7 चीनी मिलों को बिहार औद्योगिक भूमि विकास प्राधिकार (बियाडा) को सौंपने की इच्छा जताई थी। राज्य के अलग-अलग इलाकों में मौजूद इन मिलों का प्रचालन बीते 20-25 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। इस बारे में राज्य का गन्ना उद्योग विभाग भी तैयार हो गया है।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'चीनी उद्योग के लिहाज से इन मिलों ने पास वैसे तो काफी कम जमीन है, लेकिन दूसरे उद्योगों के लिहाज से इनके पास काफी जमीन है। ये मिल भी अच्छे इलाकों में स्थित हैं। इस वजह से इन्हें औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने का अच्छा मौका है। इस संबंध में सैद्धांतिक सहमति भी दी जा चुकी है। हालांकि, इस बारे में पहल उद्योग विभाग को करना है। इसके बाद हमारी ओर से एक प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा, जहाँ से मंजूरी के बाद ये सारी जमीन उद्योग विभाग को मिल जाएगी।'

इस प्रक्रिया से राज्य सरकार को उद्योगों के वास्ते 2,265 एकड़ जमीन मिलेगी।

दूसरी तरफ, इस प्रक्रिया में हो रही देरी की वजह से राज्य के उद्योग संघों से बिहार सरकार ने प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐंड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी के अग्रवाल ने कहा, 'राज्य में औद्योगिक भूमि की किल्लत को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया था। हालांकि, अब तक गन्ना उद्योग विभाग की ओर से जमीन हस्तांतरित नहीं की जा सकी है। इससे बियाडा के लिए नए उद्योगों को जमीन देने में दिक्कतें आ रही हैं। इससे राज्य में निवेश के प्रस्तावों को धरती पर उतारने में दिक्कत हो रही है। कुछ दिनों पहले राज्य सरकार को ब्रिटानिया, अशोक बिल्डकॉन, प्रिंस पाइप्स और जुपिटर हॉस्पिटल्स की ओर से निवेश के प्रस्ताव मिले। ऐसी स्थिति में अगर इन्हें जमीन नहीं मिली तो इनके लिए बिहार आना मुश्किल होगा। गन्ना उद्योग विभाग को इस बारे में तेज गति से काम करना चाहिए।

राज्य में निवेश के ज्यादातर प्रस्ताव भूमि की किल्लत की वजह से वास्तविकता में नहीं उतर पाते हैं। बीते 12 वर्षों में बिहार में निवेश के 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रस्ताव आए, लेकिन इनमें से महज 8 हजार करोड़ रुपये का ही निवेश हो पाया। **(साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 26.4.2018)**

बिहार लघु उद्योग विकास दर में देश में अव्वल

देश में सर्वाधिक लघु उद्योग विकास दर में बिहार अव्वल है। बिहार में बड़ी औद्योगिक इकाइयों के स्थान पर स्थानीय स्तर पर किए जा रहे निवेश से लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है। इसकी विकास दर विकसित राज्यों की विकास दर से भी अधिक है। लघु उद्यमों के विकास में बिहार के बाद उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर व झारखण्ड हैं।

बिहार में वर्ष 2017-18 में 81 इकाइयों को भूमि आवंटित की गई। इसमें 720 करोड़ का निवेश होगा। वहीं, वर्ष 2016-17 में मात्र 41 इकाइयों को भूमि आवंटित की गई थी, जिसके माध्यम से 314 करोड़ का निवेश हुआ था। उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह के अनुसार, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के बाद सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास में तेजी आई है। राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विकास केन्द्र व राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर किया जा रहा है। इससे बिहार की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।

औद्योगिक इकाई कम लगी, फिर भी विकास दर ज्यादा : विभागीय सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में औद्योगिक इकाइयाँ हालांकि विकसित राज्यों की तुलना में कम लगीं, फिर भी लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की विकास की दर ज्यादा रही। क्योंकि बिहार औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य है। बिहार में इस दौरान 50 इकाइयाँ स्थापित हुई, जो कि 80 फीसदी विकास दर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम है। वहीं, पंजाब में 165 इकाइयाँ लगीं किंतु वहाँ लघु उद्योगों की विकास दर शून्य, गुजरात में 365 इकाइयाँ व महाराष्ट्र में 405 इकाई लगाई गईं, लेकिन वहाँ विकास दर 20 प्रतिशत ही रही।

53 लघु उद्योग लगे, 245 करोड़ हुआ निवेश : वर्ष 2017-18 में राज्य में सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहत क्षेत्रों में निवेश किया गया। इनमें सर्वाधिक 53 लघु उद्योग लगाए गए, जिनमें 245 करोड़ का निवेश हुआ। इन लघु उद्योगों के माध्यम से 2316 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 7.4.2018)**

चीनी मिलों ने बिहार सरकार से लगाई मदद की गुहार

चीनी की गिरती कीमतों से परेशान राज्य की चीनी मिलों ने बिहार सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मिल मालिकों के मुताबिक कम कीमतों की वजह से गन्ना किसानों के बकाए को चुकता करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से रियायतों की मांग की है।

चीनी मिल मालिकों ने राज्य सरकार से बकाए सब्सिडी का भुगतान भी जल्द से जल्द करने का फैसला लिया है। साथ ही, उन्होंने राज्य सरकार से चालू पेराई सीजन में प्रति टन गन्ने पर 40 रुपये की सब्सिडी की भी मांग की है। बिहार शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सचिव नरेश भट्ट ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'राज्य में चीनी की कीमत 2,900-3,000 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर आ गई हैं, जबकि हमारी लागत 3,700-3,800 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है। इस हिसाब से हमें आशंका है कि चालू सीजन में हमें करीब 485 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। इसीलिए हमने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हम चाहते हैं कि राज्य के चीनी मिलों को प्रति क्विंटल गन्ने पर कम से कम 40 रुपये की सब्सिडी दी जाए। इससे हमारे पूरे घाटे की प्रतिपूर्ति तो नहीं होगी, लेकिन इससे गन्ना किसानों के बकाए चुकता करने में हमें जरूर मदद मिलेगी।' मिल मालिकों के मुताबिक राज्य में बड़े घाटे की अहम वजह राज्य के गन्ने का कम रिकवरी दर (गन्ने में चीनी की मात्रा) है। उनके मुताबिक बिहार के गन्ने की रिकवरी दर औसतन 9.5 फीसदी होती है, जो आस-पड़ोस के राज्यों के मुकाबले काफी कम है। साथ ही, राज्य में पेराई की अवधि भी काफी कम होती है, जिससे घाटा बढ़ता है। चीनी की गिरती दरों ने मिल मालिकों के समस्या को गंभीर बना दिया है। भट्ट ने बताया, 'हम राज्य सरकार से ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। राज्य सरकार को चीनी और छोआ पर वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के जरिये 600 करोड़ रुपये की आय होती है। वह चाहे तो हमारी मदद कर सकती है। साथ ही, पुराने करीब 70 करोड़ रुपये के अनुदान भी राज्य सरकार पर बकाया है। अगर उसका भुगतान हो जाए, तो हमें आसानी होगी।' **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 7.4.2018)**

बाधा के बाद भी बालू से 400 करोड़ का राजस्व

लघु खनिज के कारोबार में कई तरह की बाधाओं के बाद भी बीते वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार ने एक हजार चार करोड़ का राजस्व हासिल किया। इनमें जिलों से 950 करोड़ रुपए मिले। नवगठित खनिज निगम से विभिन्न खनिज की बिक्री की रायल्टी से 54 करोड़ मिले। हालांकि लक्ष्य 1350 करोड़ था।

खनन विभाग : • कुल लक्ष्य का 75 प्रतिशत राजस्व हुआ है हासिल • सात माह तक राज्य में बंद पड़े थे तमाम निर्माण कार्य • 457 करोड़ रुपए हासिल हुए थे 2016-17 में • 128 करोड़ राजस्व की प्राप्ति पत्थरों व क्रशरों से हुई है 2017-18 में। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.4.2018)**

जितनी दूरी तय की... उतना ही टोल भरें

अब आप अपने वाहन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर जितनी दूरी की यात्रा करेंगे आपसे टोल भी उतनी ही दूरी का लिया जाएगा। जब भी आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल अदा करेंगे, तो सड़क पर आपके वाहन द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी पर 'जियो-फेंसिंग' से नजर रखी जाएगी। इस सुविधा का प्रायोगिक परीक्षण अगले कुछ हफ्तों में दिल्ली-मुम्बई राजमार्ग पर शुरू होने की उम्मीद है। इस बारे में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तय की गई दूरी के आधार पर टोल वसूली के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने जा रहा है।

टोल नीति में बदलाव : • राजमार्गों पर जियो-फेंसिंग सुविधा लागू करने की तैयारी • दिल्ली-मुम्बई राजमार्ग पर जल्द शुरू हो सकता है परीक्षण • राजमार्ग पर जितनी दूरी तय करेंगे, उतनी दूरी का ही वसूला जाएगा टोल **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 12.4.2018)**

पटना में सबसे पहले बेली रोड रूट पर दौड़ेगी मेट्रो

राजधानी में मेट्रो सबसे पहले बेली रोड पर दौड़ सकती है। एनआईटी पटना में शहर के तकनीकी विशेषज्ञों की बैठक में इस रूट को सबसे व्यस्त मार्ग माना गया है। रिपोर्ट 17 अप्रैल को नगर विकास विभाग को सौंप दी जाएगी। राज्य सरकार ने एनआईटी की एप्रेजल गाइडलाइन फॉर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत कंप्रीहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) व अल्टरनेटिव एनालिसिस का जिम्मा सौंपा है। एनआईटी की टीम ने यह काम पूरा कर लिया है। रिपोर्ट में स्टडी टीम ने शहर के पाँच रूट बेली रोड, ओल्ड बाईपास, अशोक राजपथ, न्यू बाईपास और बोरिंग रोड को सबसे व्यस्त मार्ग माना है। टीम ने इसी पर चर्चा के लिए शहर के स्टेक होल्डर की बैठक बुलाई थी। इसमें बताया गया कि बेली रोड में पिकआवर में ट्रैफिक प्रति घंटे 20 हजार के ऊपर है। इस रूट पर सबसे पहले मेट्रो चलाने की जरूरत है। टीम का नेतृत्व कर रहे प्रो. संजीव सिन्हा ने बताया कि सीएमपी के बाद' अल्टरनेटिव एनालिसिस' का काम होगा। पूरी रिपोर्ट 24 अप्रैल तक सौंप दी जाएगी।

अध्ययन में निकले निष्कर्ष और सुझाव : • पटना शहर में लोग औसतन हर सप्ताह 7.68 किलोमीटर प्रति सप्ताह काम करने के लिए ट्रिप पर जाते हैं • 3.96 किलोमिटर प्रति सप्ताह होम बेस्ड एजुकेशन ट्रिप पर लोग घर से निकलते हैं, जंक्शन सभी रूट का मुख्य बिंदु है • ट्रांसपोर्टेशन को लैंड यूज से जोड़ा जाए, पटना शहर के पूरब भी बढ़ा जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विस्तार बिहटा तक हो • पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने के दौरान ऐतिहासिक धरोहर व पर्यावरण का ख्याल रखना अनिवार्य है।

मेयर ने दिया पटना सिटी में मेट्रो चलाने का सुझाव : सुझाव देने वालों में पटना मेयर सीता साहु, शहरी विकास विभाग के विशष सचिव संजय दयाल, ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता प्रमुख, आरसीडी के चीक इंजीनियर, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर के चेयरमैन, मीडिया कर्मी व शहर के गणमान्य लोग थे। मेयर सीता साहू ने पटना सिटी में मेट्रो चलाने का सुझाव दिया। उन्हें बताया गया कि चूँकि एएसआई ने इस पर आपत्ति जताई है। ओल्ड बाईपास व न्यू बाईपास एरिया में मेट्रो रूट प्रस्तावित है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 7.4.2018)**

प्रदेश में दो कंपनियां करेंगी 1000 करोड़ रुपए का निवेश

बिस्कुट बनाने वाली कंपनी ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज और पाइप का निर्माण करने वाली कंपनी प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स प्रा. लि. ने बिहार में 1000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव सरकार को दिया है। यह जानकारी राज्य के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी। बिहार निवेश प्रोत्साहन समिति की ओर से आयोजित निवेशकों के इस सम्मेलन में ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज ने बिहार में बिस्कुट निर्माण की एक और इकाई, जबकि प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स प्रा. लि. ने पीवीसी पाइप की फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव दिया है। इन कंपनियों के अलावा अशोका बिल्डकॉन और जरबिया नामक कंपनी ने कम कीमत के मकान और जुपिटर हॉस्पीटल के सीईओ अजय ठक्कर ने राज्य में शंकर नेत्रालय की तर्ज पर आई हॉस्पीटल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 13.4.2018)**

बिहार की अपनी हो जाएगी शाही लीची

रसगुल्ला जिस तरह पश्चिम बंगाल का हो गया, उसी तरह मुजफ्फरपुर की शाही लीची को बिहार की पहचान मिल जाएगी। कतरनी चावल, जर्दालु आम और मगही पान के बाद अब शाही लीची के लिए जीआई टैग (भौगेलिक संकेतक) मिलने का बिहार को इंतजार है। बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जर्नल में शाही लीची पर बिहार की दावेदारी का प्रकाशन जून के अंक में होने वाला है। प्रकाशन के तीन महीने तक बिहार के दावे को पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। इस दौरान अगर किसी राज्य या क्षेत्र ने आपत्ति नहीं जताई तो शाही लीची को बिहार का नाम मिल जाएगा।

पिछले सप्ताह बिहार ने अपने तीन उत्पादों पर जीआई टैग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। अक्टूबर 2016 में बिहार ने भागलपुर के जर्दालु आम, कतरनी धान एवं मगही पान समेत शाही लीची को बिहारी पहचान दिलाने के लिए आवेदन किया था। इसमें तीन उपज पर बिहार का दावा मान लिया गया, लेकिन मुजफ्फरपुर की शाही लीची को लटका दिया गया। दरअसल निर्णायक मंडल मुतमईन होना चाहता था कि इस विशेष उत्पादन पर सिर्फ बिहार का अधिकार कैसे है? आवेदन की प्रक्रिया में भी कुछ त्रुटि थी। मुजफ्फरपुर के किसानों ने पूर्ण विवरण के साथ दोबारा आवेदन किया है। जर्नल की ओर से सूचना दी गई है कि शाही लीची पर बिहार की दावेदारी को प्रारंभिक तौर पर मान लिया है और अगले अंक में प्रकाशन कर दिया जाएगा।

बिहार को मिल चुके हैं 11 जीआई टैग : बिहार को अबतक जर्दालु आम, कतरनी धान, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क, एप्लीक (कटवा), सिक्की (ग्रास प्रोडक्ट ऑफ बिहार) एवं सुजनी समेत 11 सामग्रियों पर जीआई टैग मिल चुका है। दूसरे राज्यों को कई उत्पादों के लिए यह गौरव मिल चुका है। कर्नाटक को तो अभी तक 40 जीआई टैग मिल चुके हैं, किंतु बिहार अभी मुश्किल से दो अंकों में ही पहुँचा है। बिहार में ऐसी कई और उत्पाद हैं, जिनके जीआई टैग के लिए कोशिश की जा सकती है। जैसे मखाना, सिलाव का खाजा, लिट्टी, अनरसा, चंद्रकला, रामदाना की लाई, बालूशाही एवं पेड़ा आदि। पश्चिम बंगाल इस मामले में काफी सक्रिय है। उसने सबसे पहले दार्जिलिंग टी से खाता खोला था। उसके बाद अबतक कई उत्पादों को अपना बना लिया है। अभी तक विभिन्न राज्यों को 320 सामग्रियों का जीआई टैग मिल चुका है।

क्या है जीआई टैग : विश्व व्यापार संगठन द्वारा जीआई टैग यानि भौगोलिक संकेतक विशिष्ट उत्पादों को दिया जाता है। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निर्मित या उत्पन्न कृषि, प्राकृतिक, हस्तशिल्प या औद्योगिक सामान को दिया जाता है। इसका मुख्य मकसद उत्पादों को संरक्षण देना होता है। भारत में सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल को दार्जिलिंग चाय का जीआई टैग दिया गया था।

"ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जर्नल प्रत्येक छह महीने में प्रकाशित होती है। बिहार सरकार को सुचित किया गया है कि अगले अंक में शाही लीची पर बिहार के दावे का प्रकाशन कर दिया जाएगा। यह अंक जून में आने वाला है। तीन महीने तक आपत्तियाँ दर्ज कराने की अवधि होगी। उसके बाद बिहार को जीआई टैग दे दिया जाएगा।"

– आर. के सोहाने, कृषि प्रसार निदेशक, कृषि विश्वविद्यालय, सबौर
(साभार : दैनिक जागरण, 8.4.2018)

10 करोड़ रुपए तक निवेश वाले स्टार्टअप को टैक्स में छूट

उभरते उद्यमियों को राहत के लिए बदले नियम

सरकार ने उभरते उद्यमियों को टैक्स में बड़ी राहत दी है। जिन स्टार्टअप्स में 10 करोड़ रुपए तक का निवेश हुआ है, उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इसके बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि नियमों में संशोधन से स्टार्टअप्स को फंडिंग में आसानी होगी। नौकरियाँ भी ज्यादा निकलेंगी। स्टार्टअप्स को शुरू के सात साल में से तीन साल तक टैक्स की छूट पहले से मिली हुई है। सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया था। तब से डीआईपीपी ने 8,765 स्टार्टअप्स को रजिस्टर्ड किया है। लेकिन टैक्स में छूट का लाभ सिर्फ 88 को मिल रही है। हाल के दिनों में स्टार्टअप्स ने एंजेल फंडिंग पर आयकर कानून की धारा 56 के तहत टैक्स लगाने पर चिंता जताई थी। इसके मुताबिक स्टार्टअप कंपनी उचित मार्केट वैल्यू से ज्यादा कीमत पर किसी को हिस्सेदारी बेचती है, तो उस ज्यादा कीमत को इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। इसके आधार पर विभाग ने 18 स्टार्टअप्स को नोटिस भी भेजा है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 13.4.18)

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 चैत्र 1940 (श.)
(सं. पटना 358) पटना, वृहस्पतिवार, 19 अप्रील 2018

वाणिज्य कर विभाग
अधिसूचना
19 अप्रील 2018

एस. ओ. 180 दिनांक 19 अप्रील 2018 – बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (एतश्मिन पश्चात् जिसे "उक्त नियामावली" कहा गया है) के नियम 138 के उपनियम (14) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार गजट, असाधारण अंक, में संख्या 265, तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 158, तारीख 23 मार्च, 2018 को विखंडित करते हैं।

2. राज्य के अन्दर आरम्भ होकर राज्य के अन्दर समाप्त होने वाले मालों के परिवहन के लिए ई-वे बिल के सृजन की आवश्यकता नहीं होगी यदि परिवहित माल का सम्प्रेषण मूल्य दो लाख रुपयों से अधिक न हो।

3. यह अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं. सं. बिकी-कर/जीएसटी/विविध-11/2017-1175)]

आदेश से
डॉ. प्रतिमा
वाणिज्य-कर आयुक्त

माल के प्रदायकर्ता, प्राप्तिकर्ता और ट्रांसपोर्टर ध्यान दें!

ई-वे बिल प्रणाली

माल के तेज, आसान और निर्विघ्न अंतरराज्यिक परिवहन हेतु अब प्रभावी है।

प्रदायकर्ता (सप्लायर)/ प्राप्तिकर्ता (रेसीपिएंट) के लिये ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण जानकारी

- माल के अंतररज्यिक परिवहन के लिये ई-वे बिल, 1 अप्रैल, 2018 से लागू हो गया है।
- आप अपने जीएसटीआईएन का उपयोग करते हुए ई-वे बिल पोर्टल **http://ewaybillgst.gov.in** पर रजिस्टर कर सकते हैं।
- ई-वे बिल जेनरेट करने की आवश्यकता सिर्फ तभी होगी जब प्रेषित माल के कंसाईनमेंट की कर सहित कीमत रु 50,000/- से अधिक होगी लेकिन उसमें छूट प्राप्त वस्तुओं की कीमत शामिल नहीं होगी।
- अगर माल का परिवहन जॉब-बर्क के संबंध में किया जा रहा है, तो प्रदायकर्ता अथवा पंजीकृत जॉब-वर्क को ई-वे बिल जेनरेट करना होगा।
- प्रदायकर्ता ट्रांसपोर्टर, कूरियर एजेंसी और ई-कॉमर्स संचालक को अपनी ओर से ई-वे बिल के पार्ट-ए को भी भरने के लिये अधिकृत कर सकता है।
- अगर प्रदायकर्ता के व्यवसाय के मुख्य स्थान से ट्रांसपोर्टर के व्यवसाय स्थल के बीच की दूरी 50 किलोमीटर से कम है, तो ई-वे बिल का पार्ट-बी भरने की आवश्यकता नहीं है। ई-वे बिल का केवल पार्ट-ए भरने की जरूरत होगी।
- प्राप्तिकर्ता के लिये माल प्राप्त करने की स्वीकृति देने अथवा मना करने के लिये सूचित करने की समय अवधि संबंधित ई-वे बिल की वैधता की अवधि अथवा 72 घंटे, जो भी पहले हो, होगी।
- जहाँ माल का परिवहन रेलवे, वायुयान अथवा जहाजों के जरिये किया जा रहा हो, ई-वे बिल पंजीकृत प्रदायकर्ता / प्राप्तिकर्ता द्वारा ही जेनरेट किया जाएगा न कि ट्रांसपोर्टर द्वारा, और इसे माल के परिवहन शुरू होने के बाद भी जेनरेट किया जा सकता है।
- प्रदायकर्ता / प्राप्तिकर्ता या ट्रांसपोर्टर द्वारा ई-वे बिल नम्बर को किसी अन्य पंजीकृत या एनरोलड ट्रांसपोर्टर को निर्दिष्ट (असाइन) किया जा सकता है।
- ई-बिल विभिन्न माध्यमों, जैसे कि वेब (ऑनलाइन), एंड्रॉइड ऐप, एसएमएस, बल्क अपलोड टूल और एपीआई (ऐपलीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस) पर आधारित साईट टू साईट, इंटीग्रेशन आदि द्वारा जेनरेट किया जा सकता है।

ट्रांसपोर्टर के लिये ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण जानकारी

- आप अपने जीएसटीआईएन का उपयोग करते हुए ई-वे बिल पोर्टल http://ewaybillgst.gov.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आपके पास जीएसटीआईएन नहीं है तब भी आप इस पोर्टल पर एनरोल कर सकते हैं।
- यदि प्रेषित माल के हर कंसाईनमेंट की कीमत रु 50.000/- से कम है, तब ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे उस वाहन के सभी कंसाईनमेंट की कुछ कीमत रु 50,000/- से अधिक भी हो।
- रेलवे को इस शर्त के साथ, कि वह प्राप्तिकर्ता द्वारा ई-वे बिल प्रस्तुत किये बिना माल सुपुर्द नहीं करेगी, ई-वे बिल जेनरेट करने और साथ रखने से छूट प्रदान की गई है। लेकिन रेलवे को इनवॉइस अथवा डिलीवरी चालान आदि साथ रखना होगा।
- यदि ट्रांसशिपमेंट अथवा विशेष परिस्थितियों के कारण माल को ई-वे बिल की वैधता के अंदर नहीं पहुँचाया जा सकता, तो ट्रांसपोर्टर वैधता अवधि को बढ़ा सकता है।
- ट्रांसपोर्टर फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी- 02 में समेकित (कनसौलीडेटेड) ई-वे बिल जेनरेट कर सकते हैं।
- यदि माल एक वाहन से दूसरे वाहन में स्थानांतरित किया जाता है, तो ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग बी (पार्ट-बी) में वाहन का विवरण अद्यतन किया जाना चाहिए।
- किसी भी कर अधिकारी द्वारा एक बार जांच करने के बाद, उस वाहन की किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पुनः जांच नहीं होगी, जब तक उसके बारे में कोई विशिष्ट जानकारी प्राप्त न हुई हो।
- ई-वे बिल की वैधता 100 कि. मी. (ओवर-डाइमेंशनल कार्गो के मामले में 20 कि. मी.) तक की दूरी के लिए एक दिन है। प्रत्येक 100 कि.मी. या उसके बाद के हिस्से के लिए, यह एक अतिरिक्त दिन होगा। इस तरह यदि दूरी 500 किलोमीटर है, तो ट्रांसपोर्टर के पास वैध ई-वे बिल के साथ कार्गो पहुँचाने के लिए 5 दिन होंगे। ई-वे बिल की एक दिन की वैधता, ई-वे बिल जेनरेट होने की तिथि के तुरंत बाद, अगले दिन की मध्यरात्रि को समाप्त होगी।

ई-वे बिल के संबंध में अधिक जानकारी के लिए
www.ewaybillgst.gov.in पर जाएँ।
ई-वे बिल एफ ए क्यूज़ goo.gl/ic94rE पर उपलब्ध हैं।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड और
राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के वाणिज्यि कर विभाग
www.cbec.gov.in, www.cbec.gst.gov.in

(साभार : हिन्दुस्तान, 8.4.2018)

Bihar Chamber of Commerce & Industries (BCCI) participation in various Government & Public Bodies deliberations

STARTUP FUND TRUST

A meeting of Startup Fund Trust of Development Commissioner, Bihar was held on 13th April, 2018 under the Chairmanship of Shri Shishir Sinha, Development Commissioner at the Development Commissioner's Office.

Dr. S. Siddharth, IAS, Principal Secretary, Industries was also present in the meeting. Shri N. K.Thakur, Vice President, BCCI and Shri Amit Mukherji, Secretary General, BCCI participated in the meeting.

Summary of Discussion:

(1) Application Form Approved
(2) List of Mentors discussed & approved
(3) Agreement form approved between the Govt.of Bihar & the Start up unit
(4) Angel funding was discussed as no unit can be successful with 10.00 lakhs as seed capital.

Angel funding to be done as per Andhra Pradesh and Telengana model.

PRELIMINARY SCRUTINY COMMITTEE

A meeting of Preliminary Scrutiny Committee of Bihar Startup Policy-2017 of Industries Department was held on 13th April, 2018 under the Chairmanship of Dr. S. Siddharth, IAS, Principal Secretary, Deptt. of Industries, Govt.of Bihar in his office Chamber.

Shri N. K. Thakur, Vice President, BCCI and Shri Amit Mukherji, BCCI were present in the meeting.

Summary of discussion:

(1) The 192 Startup applications stand rejected & they are to apply afresh as per the new application form.
(2) Till now 50 Startup units have been approved and on an all India basis GOI totals 81.
(3) New application form has to have the entrepreneurs details, his business plan, market size, own capital, sources of funding etc.
(4) Incubators are to check and remove those applicants who have either not met the incubators or have not proceeded further with their details.
(5) For the 50 applicants selected there have to be 50 mentors, BCCI has been requested to submit names for such mentorship, BCCI informed that names will be given after discussion with members.
(6) Those whose applications stand rejected due to their failure

either to report at the incubation centre or have failed to further proceed on their proposal are to be informed from the Call Centre.

(7) In future applicants whose applications have been approved and have been allotted incubators either fail to turn up or have not contacted the incubators within 30 days such applications are to be rejected.

(8) From now on only the proposals which are in order are to be put up to PSC for decisions & discussions.

जीएसटीआर - 2 का बिना इंटरनेट के होगा मिलान

अलग-अलग खरीद का ब्योरा भी एक जगह मिल जाएगा

बिना इंटरनेट के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने वाले करदाता ऑफलाइन में ही जीएसटीआर-2 का मिलान कर सकते हैं। इसे स्वीकार या अस्वीकार या संशोधन कर सकते है। फिर, बाद में इंटरनेट कनेक्टीविटी मिलने पर उसे अपलोड कर सकते हैं। इस व्यवस्था से जीएसटीआर-2 का मिलान करने में आसानी होगी।

जीएसटीआर-2 वस्तु या सेवा की खरीद का ब्योरा है। जबकि जीएसटीआर-1 बिक्री का ब्योरा होता है। विक्रेता द्वारा जीएसटी-1 दाखिल करते ही क्रेता के खरीद का ब्योरा जीएसटीआर-2 खुद बन जाता है। क्रेता इसे डाउनलोड कर ऑफलाइन ही अपनी खरीद की सूची से मिलान कर सकता है। इसमें कोई ऐसी वस्तु तो नहीं शामिल है जो उसने खरीदा ही नहीं या जो उसने खरीदा उसे सूची में छोड़ तो नहीं दिया गया अथवा कोई वस्तु को दोबारा तो नहीं सूची में शामिल कर लिया गया। इसके साथ ही अगर क्रेता ने 20 अलग-अलग विक्रेताओं से वस्तु की खरीद की है तो जीएसटीआर - 2 में एक साथ सब ब्योरा शामिल हो जाता है।

जीएसटी पोर्टल पर दी जा रहीं सुविधाएँ : वाणिज्यकर विभाग के अनुसार जीएसटी के करदाता व्यवसायियों के हित में जीएसटी पोर्टल पर भुगतान को लेकर सभी अद्यतन सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। इनमें कंपाउंडिंग में कर देने के लिए विकल्प की सुविधा, जीएसटी-सीएमपी 02 फॉर्म को ऑनलाइन दाखिल करने सहित अन्य सुविधाएँ शामिल है। किसी करदाता द्वारा जमा राशि अगर कैश लेजर में नहीं दिख रहा हो या उसमें कोई अंतर हो तो जीएसटी पीएमटी 07 फॉर्म को ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।

बिहार में तीन लाख व्यवसायी जीएसटी में निबंधित : वाणिज्य-कर विभाग के अनुसार बिहार में जीएसटी के तहत तीन लाख व्यवसायी निर्बाधित हैं। व्यवसायियों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा सभी अंचल कार्यालयों में सुविधा केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं, ताकि वे वहाँ तकनीकी सहायता हासिल कर अपने कर का भुगतान कर सकें। **(साभार : हिन्दुस्तान, 11.4.2018)**

सरकारी कंपनी बन सकता है जीएसटीएन

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के 10 वें महीने में केन्द्र सरकार जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को एक सरकारी कंपनी में बदलने पर विचार कर रही है। जीएसटीएन इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था मे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ढांचे को देखता है और कंपनियों के संवेदनशील आंकड़ों की रक्षा की जिम्मेदारी इस सरकारी कंपनी पर होगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त सचिव हसमुख अढ़िया से जीएसटीएन की सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी वाली कंपनी या 100 प्रतिशत सरकारी कंपनी बनाने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा है। इस कदम पर ऐसे समय में विचार किया जा रहा है जब विभिन्न आंकड़ों के चोरी होने की खबरें आ रही हैं, जिनमें से फेसबुक और कैंब्रिज एनालिटिका पर लगे आरोप अहम हैं। इसकी जाँच के बाद प्रस्ताव को जीएसटी परिषद के पास भेजा जा सकता है।

संभावना तलाश रही है सरकार : • वित्त मंत्री ने जीएसटीएन को सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी वाली या 100% सरकारी कंपनी बनाने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा • माना जा रहा है कि डेटा चोरी की घटनाओं के बाद उठाए जा रहे कदम • जीएसटीएन के पास देश भर की कंपनियों के होते हैं अहम आंकड़े • राज्यसभा की समिति ने बताया था जीएसटीएन को रणनीतिक महत्त्व का। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 11.4.2018)**

छापेमारी के दौरान अब दवा दुकानों की होगी वीडियोग्राफी

दवा छापेमारी के दौरान अब वीडियोग्राफी कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसका निर्देश सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को दिया है। वीडियोग्राफी में पूरे घटनाक्रम को रिकार्ड किया जाएगा। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 7.4.2018)**

किराए से कमाई का भी ब्योरा देना होगा रिटर्न में

आयकर रिटर्न के फार्म में इसके लिए विभाग ने जोड़े नये कॉलम, स्थानीय निकायों को दिए टैक्स की भी देनी होगी पूरी जानकारी

दिल्ली-मुम्बई जैसे महानगरों और बड़े शहरों में मकान किराए पर उठाकर मोटी कमाई करने वालों पर आयकर विभाग की नजर है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2018-19 (वित्त वर्ष 2017-18) के आयकर रिटर्न फार्म में इस बार व्यक्तिगत करदाताओं को मकान से कमाई का पूरा हिसाब देने को कहा है। करदाताओं को आयकर रिटर्न में न सिर्फ यह बताना होगा कि उन्हें किराए के रूप में मकान से कितनी कमाई हुई बल्कि उन्हें इस बात का भी ब्योग देना होगा कि उन्होंने स्थानीय निकाय को कितना टैक्स दिया। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 7.4.2018)**

15 दिनों में बिजली बिल जमा नहीं करने पर कट जायेगा कनेक्शन

नये टैरिफ पर बिल जारी, अनुदान के बाद लौटेगी राशि

एक अप्रैल से रुका बिजली बिल अब से नये टैरिफ के आधार पर जारी होने लगा है। इसमें पुराने दर वाले अनुदान शामिल हैं। इस वर्ष विद्युत दर में बढ़ोतरी वाली राशि पर अब तक अनुदान नहीं मिला है। अनुदान मिलने के बाद विद्युत दर में कमी आ जायेगी। अब जारी किये गये नये बिजली बिल में यह निर्देश दिया गया है कि सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर बिल जमा करना सुनिश्चित करें, नहीं तो बिजली कनेक्शन काट दिया जायेगा।

शहरी घरेलू		शहरी कमर्शियल	
यूनिट	नई विद्युत दर	यूनिट	विद्युत दर
शून्य से 100	4.67 रुपये	शून्य से 100	6.00 रुपये
101 से 200	5.47 रुपये	101 से 200	6.55 रुपये
201 से 300	3.32 रुपये	201 से अधिक	7.10 रुपये
301 से अधिक	7.12 रुपये	(दर में पिछला अनुदान शामिल है)	

बिल में बदलाव : विद्युत कंपनी ने नये बिजली बिल में एक बदलाव किया है। पिछला बकाया नहीं देने वाले उपभोक्ताओं की बिजली बिल के माध्यम से ही डिस्कनेक्शन नोटिस देना शुरू कर दिया है। यह बिजली बिल पर लिखा रहेगा कि सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर बिल जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया जायेगा।

मीटर रेंट पर लगेगा जीएसटी : इस तरह का बिजली बिल बड़ी संख्या में पेसू से जारी हुआ है। अब बिजली बिल जमा नहीं करने पर आभियंता दोबारा नोटिस जारी नहीं करेंगे बल्कि सीधे बिजली कनेक्शन काट देंगे। नये बिजली बिल में दूसरा बदलाव जीएसटी है। केवल मीटर रेट पर जीएसटी लिया जा रहा है। **(साभार : प्रभात खबर, 13.4.2018)**

मई से पोस्ट ऑफिस में डिजिटल बैंकिंग सेवा

सबसे बड़ा होगा बैंकिंग नेटवर्क

34 करोड़ खाताधारकों को लाभ, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकेंगे पैसे

अब पोस्ट ऑफिस के खाताधारक भी ऑनलाइन अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर पायेंगे। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने पोस्ट ऑफिस अकाउंट को इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) से लिंक करने की अनुमति दे दी है। इस तरह मई से पोस्ट ऑफिस के करीब 34 करोड़ खाता धारक भी डिजिटल बैंकिंग सेवा का लाभ ले पायेंगे। 34 करोड़ सेविंग अकाउंट्स में से 17 करोड़ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट्स हैं और बाकी मासिक इनकम स्कीम्स और आरडी आदि के हैं। मालूम हो कि आइपीपीबी को आरबीआइ संभालता है, वहीं पोस्ट ऑफिस की बैंकिग सर्विसेज वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस तरह डाक विभाग देश का सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क भी बनेगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 12.4.2018)

सभी सिक्के वैध, नहीं लेना अपराध

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारत सरकार की और से जारी एक, दो, पाँच और दस रुपये के सभी सिक्के वैध और चलन में हैं। लिहाजा, इन्हें स्वीकार न करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।

आरबीआइ ने यह भी साफ किया है कि आम लोगों की ओर से बिना किसी सीमा के अपने बैंक खाते में सिक्कों को जमा किया जा सकता है। सिक्कों को जमा करने संबंधी जो ऊपरी सीमा क्वायनेज एक्ट-2011 में दी गई है, वह व्यापारिक लेनदेन के लिए है। आरबीआई ने प्रेस विज्ञपित जारी कर कहा है कि अलावा, सिक्कों के विनिमय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पटना स्थित कार्यालय में भी काउंटर कार्य कर रहा है। **(साभार : दैनिक जागरण, 12.4.2018)**

सरकारी बैंकों की हालत निजी बैंकों से ज्यादा खराब

71 प्रतिशत से घट कर 69 प्रतिशत पर पहुँच गया मार्च, 2016 से मार्च, 2017 के बीच राज्य संचालित बैंकों द्वारा दिये गये ऋण का हिस्सा, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक

58.66 लाख करोड़ रुपये पहुँच गयी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अग्रिम 31 मार्च, 2017 तक । यह अग्रिम वित्त वर्ष 2016 के 58.27 लाख करोड़ रुपये से 0.7 प्रतिशत अधिक थी।

84.7 लाख करोड़ रुपये रही बैंकिंग क्षेत्र की कुल अग्रिम मार्च 2016 के अंत तक, जो बकाया राशि से 3.6 प्रतिशत अधिक थी।

22.6 लाख करोड़ रुपये थी निजी बैंकों की बकाया राशि 31 मार्च, 2017 तक। यह राशि पिछले वर्ष के 19.74 लाख करोड़ रुपये से 14.5 प्रतिशत अधिक थी।

8.7 प्रतिशत की कमी के साथ 3.44 लाख करोड़ रुपये रही विदेशी बैंकों की अग्रिम।

87 प्रतिशत रही गैर निष्पादित परिसंपतियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की, 31 मार्च, 2017 तक।

6.85 लाख करोड़ रुपये (परिसंपतियों का लगभग 12 प्रतिशत) पर पहुँच गयी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ वित्त वर्ष 2017 के अंत तक। ये परिसंपत्तियाँ 31 मार्च, 2016 के 5.4 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों के मुकाबले 9 प्रतिशत अधिक है।

12 प्रतिशत रही वित वर्ष 2017 में कुल सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में निजी बैंकों की हिस्सेदारी, जबकि वित वर्ष 2016 में यह हिस्सेदारी 9 प्रतिशत थी। इस दौरान निजी बैंकों की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अनुपात 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 4 प्रतिशत पर पहुँच गया।

कुछ प्रमुख बैंकों का एनपीए : • भारतीय स्टेट बैंक - 188,068 • पंजाब नेशनल बैंक - 57,721 • बैंक ऑफ इंडिया - 51,019 • आईडीबी-आई बैंक - 50,173 • बैंक ऑफ बड़ौदा - 46,173 • आईसीआईसीआई बैंक - 43,148 • केनरा बैंक - 37,658 • यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - 37,286 • इंडियन ओवरसीज बैंक - 35,453 • सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - 31,398 • यूको बैंक - 25,054 • ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स - 24,409 • एक्सिस बैंक - 22,031 • कॉरपोरेशन बैंक - 21,713 • इलाहाबाद बैंक - 21,032 • सिंडिकेट बैंक - 20,184 • आंध्रा बैंक - 19,428 • बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 18,049 • देना बैंक - 12,994 • यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया - 12,165 • इंडियन बैंक - 9,653 • एचडीएफसी बैंक - 1,243

(आँकड़ें जून 2017 तक के हैं और एनपीए करोड़ में)

(साभार : प्रभात खबर, 8.4.2018)

किसी और को दे सकेंगे कन्फर्म टिकट

रेलवे ने जारी की गाइडलाइन मुख्य रिजर्वेशन सुपरवाइजर टिकट पर उसका नाम, बर्थ और सीट नंबर दे सकेंगे

अगर आपके पास ट्रेन का कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट है और किन्ही कारणों से आपको यात्रा निरस्त करनी पड़ती है तो आप अपना कन्फर्म रिजवेंशन टिकट किसी और यात्री को दे सकते हैं और वह यात्री उस टिकट पर यात्रा कर सकेगा। इसके लिए रेलवे ने गाइडलाइन भी तैयार की है। रेलवे द्वारा जारी वक्तव्य में यह बात कही गई है।

जारी इस वक्तव्य में कहा गया है कि रेलवे प्रशासन द्वारा अधिकृत महत्वपूर्ण स्टेशनों के मुख्य रिजर्वेशन सुपरवाइजर एक यात्री द्वारा किसी दूसरे यात्री की दिए गए टिकट पर उसका नाम, बर्थ और सीट नंबर दे सकेंगे।

ये है गाइडलाइन : रेलवे की तय गाइडलाइन के मुताबिक व्यक्ति अपना कन्फर्म टिकट अपने परिवार के अन्य सदस्य जैसे पिता, माँ, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी को ट्रांसफर कर सकेगा। इसके लिए उस व्यक्ति को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन करना होगा। अगर कोई यात्री किसी मैरिज पार्टी का हिस्सा है तो वह अपना कन्फर्म टिकट समूह के प्रमुख के नाम करने के लिए ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले आवेदन कर सकेगा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना कन्फर्म टिकट ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे भी ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 10.3.2018)**

मधेपुरा रेल कारखाना देश को समर्पित

प्रधानमंत्री ने को मोतिहारी गाँधी मैदान से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मधेपुरा विद्युत रेल इंजन कारखाना देश को समर्पित किया। उन्होंने कारखाना में तैयार पहले 12000 हजार अश्वशक्ति वाले इलेक्ट्रिक रेल इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोतिहारी से पीएम के हरी झंडी दिखाते ही फैक्ट्री परिसर में खड़ा नवनिर्मित इलेक्ट्रिक रेल इंजन आगे बढ़ने लगा। मधेपुरा रेल फैक्ट्री परिसर में लोकार्पण समारोह में शामिल लोगों ने तालियों से खुशी का इजहार किया। पीएम ने कहा कि मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव संयंत्र मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण है।

पीएम ने कहा कि मधेपुरा रेल कारखाना को मंजूरी साल 2007 में ही मिली थी। मधेपुरा रेल कारखाना की फाइलें आठ साल तक धूल फांकती रही। एनडीए सरकार बनने के बाद न केवल फैक्ट्री बनी बल्कि पहले फेज का काम भी पूरा हो गया।

मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फ्रांस की एल्स्टॉम (76 प्रतिशत) और भारतीय रेलवे (24 प्रतिशत) के बीच ऐतिहासिक संयुक्त उपक्रम है। एल्स्टॉम के भारत एवं दक्षिण एशिया के प्रबंध निदेशक एलेन स्पोहर ने कहा कि यह गौरव की बात है कि पीएम ने पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखायी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.4.2018)

6 किलोमीटर लंबी दीघा-आर ब्लॉक रेल लाइन की जगह बनेगी 6 लेन की सड़क

रेलवे से 221 करोड़ में 71 एकड़ जमीन खरीदेगी बिहार सरकार

दीघा-आर ब्लॉक रेल लाइन की जमीन पर गाड़ियाँ दौड़ेंगी। 6 किलोमीटर इस लंबी रेल ट्रैक पर 6 लेन सड़क बनेगी। सड़क के बीच में एलिवेटेड मेट्रो चलाने की भी योजना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रेलवे के इस 6 किलोमीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले कुल 71 एकड़ जमीन के पुनर्मूल्यांकन के बाद लागत 221 करोड़ रुपए तय की है।

रेलवे अब तक इस 71 एकड़ जमीन का बाजार दर (व्यावसायिक मूल्य) 896 करोड़ तय कर उसके हिसाब से राज्य सरकार से पैसा मांग रहा था। पर राज्य सरकार इस मूल्य पर जमीन लेने को तैयार नहीं थी। केन्द्र और राज्य के बीच यह जिच 7 साल से बरकरार था। बिहार ने स्पष्ट कर दिया कि जमीन लंबी होने के कारण इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं हो सकता। ऐसे में इस जमीन को व्यावसायिक मान कर उस हिसाब से मूल्य तय करना तर्कसंगत नहीं है। आर ब्लॉक-दीघा रेल लाइन पर रेल चलाने पर हर वर्ष रेल मंत्रालय को 1 करोड़ से ऊपर खर्च आती है पर सलाना आय मात्र 60 हजार रुपए है। महज 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन में बमुश्किल 20-25 लोग सफर करते हैं। वर्ष 2004 में तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद ने सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू कराया था।

अजब लाइन का गजब सफर : • यह रेल लाइन 150 साल पुरानी है। अंग्रेजों ने दीघा के गोदाम तक अनाज पहुँचाने के लिए इसे बनाया • बाद में लाइन बंद हो गई। पटरियाँ टूटी। स्लीपर लापता हुए • 2004 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने इस लाइन पर सवारी गाड़ी शुरू कराई • तीन बोगी की ट्रेन दो फेरे लगाती है, यात्री महज 15 से 20 **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 12.4.2018)**

4.5 घंटे में राजधानी पहुँचेंगे यात्री

भागलपुर-राजेन्द्र नगर टर्मिनल के बीच
जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाने की कवायद शुरू

भागलपुर से राजेन्द्र नगर टर्मिनल (पटना) तक का सफर अब साढ़े चार घंटे में पूरा करने का सपना सच होने वाला है। इसके लिए भागलपुर से राजेन्द्र नगर टर्मिनल तक जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा। जनशताब्दी एक्सप्रेस पर सवार होकर लोग साढ़े चार घंटे में पटना पहुँच जाएँगे। रेलवे बोर्ड ने भागलपुर-राजेन्द्र नगर टर्मिनल के बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस के परिचालन पर अपनी सहमति दे दी है। सबकुछ ठीक रहा तो जुलाई के बाद नई ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा।

सुविधा : • सुबह में भागलपुर से इंटरसिटी एक्सप्रेस के बाद चलेगी नई ट्रेन • वापसी में दो बजे खुलेगी राजेन्द्र नगर टर्मिनल से इंटरसिटी और विक्रमशिला को लगते हैं छह घंटे

"भागलपुर से राजेन्द्र नगर के बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाई जानी है। लेकिन इसका परिचालने शुरू करने को लेकर सूचना नहीं आई है। टाइम टेबल आने के बाद परिचालन को लेकर कवायद शुरू की जाएगी।"

– **रवि महापात्रा**, सीपीआरओ, पूर्व रेलवे
(विस्तृत : दैनिक जागरण, 11.4.2018)

रक्सौल-काठमांडू के बीच रेल लाइन बिछाने का एलान, भारत करेगा मदद

करीब आये भारत और नेपाल
पीएम मोदी और ओली के बीच बनी सहमति

नेपाल के लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने व थोक में माल की आवाजाही के लिए भारत, बिहार के रक्सौल से नेपाल की राजधानी काठमांडू के बीच रणनीतिक रेल संपर्क का निर्माण करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष केपी शर्मा ओली के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद यह घोषणा की गयी। दोनों प्रधानमंत्री नयी विद्युतीकृत रेल लाइन बनाने पर भी सहमत हुए हैं। इस रेल लाइन के लिए फंडिंग भारत करेगा। इस दौरान दोनों देशों ने भारत-नेपाल सीमा पार रेल परियोजनाओं के पहले चरण के क्रियान्वयन पर संतोष जाहिर किया। रेल संपर्क तैयार करने के मद्देनजर दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि भारत-नेपाल के परामर्श से एक साल के भीतर सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लेगा। मोदी ने ओली को आश्वासन दिया नेपाल को जलमार्ग से जोड़ने में भी भारत उसकी मदद करेगा। **(साभार : प्रभात खबर, 8.4.2018)**

Bela wheel plant crosses production target in 17-18

The Rail Wheel plant (RWP), Bela, under Dariapur block in Saran district has produced more wheel discs than the target fixed by the railway board in the last fiscal (2017-18). East Central Railways (ECR) sources said the plant has also hastened the pace of dispatching wheels to different rail workshops.

Secretary to chief administrative officer Satyendra Kumar said, "Ever since wheel discs manufacturing work started in 2013-14, the factory has so far produced 95,687 wheels till March 31, out of which 49,986 wheels have been dispatched. Out of 26,004 wheels produced for passenger trains last fiscal, 23,276 wheels were sent to different railway workshops." **(Detail : The Times of India, 12.4.2018)**

ट्रेन में बिल न देने पर मुफ्त में देना पड़ेगा खाना

रेलवे का कोई कैटर यदि ग्राहक को खाने का बिल नहीं देता तो उसे मुफ्त में खाना देना पड़ेगा। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कैटरिंग फर्मों के साथ चर्चा में ये बात स्पष्ट की। कैटरिंग ठेकेदारों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के मार्फत संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि खाने की गुणवत्ता और कीमतों की लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही इन दोनों मामलों से अलग-अलग ढंग से निपटा जाएगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 13.4.2018)**

सीट बेल्ट न बांधी तो रु 600 जुर्माना

यात्री सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन व परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से सीट बेल्ट चेकिंग अभियान की शुरूआत की है। यह अभियान आगे भी चलेगा। चार पहिया वाहन की ड्राइविंग और फ्रंट सीट पर बैठे व्यक्ति यदि सीट बेल्ट लगाए नहीं मिलेंगे तो उनसे 600 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि हेलमेट नहीं पहनने पर 100 रुपये जुर्माना लिया जाता है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 12.4.18)**

पटना के घर-घर में इलेक्ट्रॉनिक कचरा

2020 तक पटना में होगा 38,415 मीट्रिक टन ई-कचरा

पटना के घर-घर में ई-कचरा पड़ा है। बेकार पड़े मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, फ्रिज हो या इसके पार्ट्स। सभी घरों के किसी कोने में फेंके हुए दिख जाते हैं। इस तरह हरेक घर ई-कचरा का डंपिंग यार्ड बनता जा रहा है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सर्वे रिपोर्ट से पांच शहरों में ई-वेस्ट

शहर	2013	2020
पटना	10,259	38,415
मुजफ्फरपुर	3,465	16,611
भागलपुर	3,061	11,648
दरभंगा	2,833	12,650
गया	3,623	14,254

घर में जगह नहीं है तो उसे कूड़ेदान या नाले में डाल दिया जाता है। इससे वायुमंडल और भू-जल दोनों प्रदूषित होता है। इससे मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। ई-कचरा ने हरेक घर को खतरनाक बीमारियों के मुहाने पर ला खड़ा किया है। बावजूद इसके राजधानी में न तो इसके लिए कोई सिस्टम है, न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटारा कैसे किया जाए? इस बारे में आम जनता को कोई जानकारी भी नहीं है।

बढ़ रही समस्या : • ई-कचरा ने घरों को खतरनाक बीमारियों के मुहाने पर ला कर खड़ा कर दिया है • सर्वे के पाँच साल बाद भी ई-वेस्ट के निपटारे की नहीं हुई व्यवस्था • पाँच शहरों में चार गुना बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कचरा • कंपनियों को ही करना है ई-वेस्ट का निपटारा • 23241 मीट्रिक टन ई-वेस्ट मिला था 2013 में • 93578 मीट्रिक टन ई-वेस्ट हो जाएगा 2020 तक।

क्या है ई-वेस्ट : मुख्य रूप से सीडी, डीवीडी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, रेडियो, बैट्री आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो उपयोगी नहीं रह गए हो और उस सामान को या तो घर के किसी कोने में रखा जाता है या खुली सड़क पर या कबाड़खाने में फेंक दिया जाता है। इसमें कई तरह के हानिकारक तत्व रहते हैं जो खराब हो जाते पर फैलते है। इससे पर्यावरण और पशु पक्षी एवं मानव के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।

"बिहार में मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है। कंपनी की जिम्मेवारी है कि वे सिस्टम विकसित करें और बोर्ड को रिपोर्ट करे। नियमावली के तहत जो इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माता कंपनी है, उसी को अपने नेटवर्क से ग्राहकों से ई-कचरा का रूप ले चुके सामान वापस लेकर निपटारा करना है।"

– **एस. एन. जायसवाल**, विशेषज्ञ, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 13.4.2018)

दिल्ली व बिहार रूट की ट्रेनें सबसे अधिक असुरक्षित

चेतावनी **अधिक वारदात वाली ट्रेनों को किया गया चिह्नित,**
जीआरपी ने माना 14 ट्रेनों में सफर करना खतरे से खाली नहीं

वैसे तो सफर के दौरान हमेशा सतर्क रहना ही चाहिए लेकिन, 14 ट्रेनें ऐसी हैं, जिनमें सफर के दौरान कुछ ज्यादा ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सबसे अधिक असुरक्षित मानी गई हैं। जीआरपी ने अपराध की घटनाओं के आधार पर इन ट्रेनों को चिह्नित किया है। इनमें से अधिकांश ट्रेनें दिल्ली और बिहार रूट की हैं। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 12.4.2018)**

ट्रेन में खाने पर 5% जीएसटी, 15 रुपये तक घटेगा किराया

यात्री ट्रेनों में खाद्य पदार्थों पर अब 18 फीसद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं देना होगा। रेलवे ने इसमें 13 फीसद की कटौती की घोषणा की। ट्रेनों में खानपान की वस्तुओं पर अब महज पाँच फीसद जीएसटी देना होगा। दैनिक जागरण द्वारा मामला उजागर किए जाने के बाद वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर निर्देश जारी किए थे, जिसे रेलवे ने लागू कर दिया। 13 फीसद जीएसटी कम होने कारण अब शताब्दी, राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस का किराया भी पाँच से 15 रुपये कम हो जाएगा। इतना ही नहीं पैंट्री कार में भी अब खानपान सस्ता होगा।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 10.4.2018)

Over Rs. 11, 000 crore lying unclaimed with banks

SBI Has Highest Amount of Rs 1262 Crore, Followed By PNB

Money lying in dormant bank accounts is parked in the Depositor Education and Awareness Fund (DEAF), Which has been created under the provisions of the Banking Laws (Amendment) Act, 2012.

As much as Rs 11,302 Crore belonging to over three crore account holders is lying unclaimed with 64 banks, data from the Reserve Bank of India has revealed.

The largest amount - Rs 1,262 crore - is lying with the State Bank of India. Rs 1,250 crore with PNB, while all other nationalised banks together hold Rs 7,040. All this money, howver, is just a fraction of the total deposits of over Rs 100 lakh crore handled by banks in India.

Former RBI chair professor at IIM-B Charan Singh says: "Most of these deposits would be cases of deceased account holders, or. people with multiple bank accounts. It is unlikely that too much of it, or may be any of it, is benami or unaccounted money."

Section 26 of Banking Regulation Act, 1949, mandates that banks submit a return of all accounts in India which have not been operated for 10 years to the RBI within 30 days after the close of each calender year. But Section 26 A says that it does not prevent a depositor or claimant from claiming the deposit or operating the account after the expiry of the period of 10 years and the banking company is liable to repay the amount.

Money lying in dormant bank accounts is parked in the Depositor Education and Awareness Fund (DEAF), which has been created under the provisions of the Banking Laws (Amendment) Act, 2012.

Among the private banks, RBI says that seven- Axis, DCB, HDFC, ICICI, IndusInd, Kotak Mahindra and YES Bank - have a total of Rs 824 crore in unclaimed deposite.

Twelve other private banks together have Rs 592 crore taking the total such money with private banks to Rs 1, 416 crore of all the private banks, ICICI Bank with Rs 476 crore and Kotak Mahindra Bank with Rs 151 crore have the highest unclaimed deposits.

Comparatively, 25 foreign banks, whose operations are much smaller in size, account for Rs 332 crore in unclaimed deposits, with HSBC alone accounting for Rs 105 crore. **(Source : T. O. I, 18.4.2018)**

विश्व बैंक के मूल्यांकन में बिहार की उपलब्धि 87.47 प्रतिशत

विश्व बैंक ने इंज ऑफ डूईंग बिजनेस के तहत 2017 की राज्य रैंकिंग के लिए 372 सुधार की अनुशंसा की थी। इनमें से सभी अनुशंसाओं का बिहार में कार्यान्वयन किया गया। विश्व बैंक ने इस वर्ष 6 मार्च को इसका मूल्यांकन किया। इस क्रम में बिहार की उपलब्धि 87.47 प्रतिशत रही। मालूम हो कि वर्ष 2015 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्यों की रैंकिंग में बिहार का 21 वां नंबर था और 2016 में राज्यों के बीच बिहार का स्थान 16 वाँ था।

स्टार्ट अप के 905 आवेदनों का चयन : बिहार स्टार्ट अप नीति 2017 के तहत स्टार्टअप पोर्टल पर पिछले माह तक 4,367 आवेदन आ चुके हैं। प्रारंभिक समिति की अब तक हुई दस बैठकों में 905 आवेदन का चयन कर उन्हें 19 इनक्यूबेटर्स के साथ संबद्ध किया गया है। बिहार स्टार्ट अप फंड ट्रस्ट द्वारा 41 स्टार्ट अप को प्रमाणीकृत किया जा चुका है। इसमें से 27 स्टार्ट अप को प्रथम किस्त के रूप में 65 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।

वित्तीय प्रोत्साहन : राज्य में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन कर तीन प्रक्षेत्र जैसे आईटी, आईटी आधारित सेवाएँ ईएसडीएम प्रक्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण तथा कपड़ा, पोशाक एवं चमड़ा प्रक्षेत्र को उच्च प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र में रखा गया। उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के विशेष अनुदान जैसे स्टांप ड्यटी, पंजीकरण शुल्क, भूमि संपरिवर्तन में छूट, ब्याज अनुदान, कर अनुदान, नियोजन खर्च सहायता तथा कौशल विकास सहायता का प्रावधान किया गया है।

तीस दिनों के भीतर आवेदन को स्वीकृति : राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्याहित करने व प्रक्रिया को सहज बनाने के उद्देश्य से निवेशकों से कॉमन आवेदन फार्म ऑनलाइन हासिल कर उसे तीस दिनों के भीतर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा स्वीकृत किया जाना है। यदि इस समय सीमा के अंदर संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा क्लीयरेंस नहीं दिया जाता है तो उन उद्यमियों को डीम्ड क्लीयरेंस प्रदान किया जाएगा।

649 निवेश प्रस्तावों को स्टेल - 1 क्लीयरेंस : राज्य निवेश पर्षद को अनुमोदन के लिए अब तक 727 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 649 निवेश प्रस्तावों को स्टेज - 1 क्लीयरेंस प्रदान किया गया है। इसमें 9,118 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इन प्रस्तावों में 311 खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। इसके तहत संभावित निवेश 1,512 करोड़ रुपए है। वहीं 84 इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसमें 1067.77 करोड़ रुपए का निवेश सन्निहित है।

42 अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन : सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल पर निवेशकों को 42 अनापत्ति प्रमाण पत्र, लाइसेंस, क्लीयरेंस तथा वित्तीय अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। **(साभार : दैनिक जागरण, 31.3.2018)**

बाजार समिति की सुधरेगी स्थिति, 24 करोड़ मंजूर

कृषि उत्पादन बाजार समिति मुसल्लहपुर के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। जल्द ही बाजार समिति के जीर्णोद्धार का काम शुरू होगा। कृषि विभाग ने बाजार समिति में बाजार प्रांगण, चहारदीवारी, मुख्य पहुँच पथ, सहायक पहुँच पथ, मुख्य नाला निर्माण, सहायक नाला निर्माण, बालू भराई कार्य समेत अन्य कायों के लिए राशि एवं योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। कृषि निदेशक हिमांशु कुमार राय ने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में बाजार समिति में जीणोंद्वार का काम शुरू हो जाएगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 30.3.2018)

स्पीड गवर्नर लगी गाड़ियों को ही मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट

एक अप्रैल से स्पीड गवर्नर लगानेवाले व्यावसायिक वाहनों को ही जिला परिवहन कार्यालय से फिटनेस प्रमाणपत्र मिलेगा। स्पीड गवर्नर नहीं लगे व्यावसायिक वाहनों के जाँच में पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी।

खुद ही रद्द हो जाएगा परमिट : फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं रहने की स्थिति में निबंधन और परमिट नहीं मिलेगा। वहीं, जिन व्यवसायिक वाहनों का निबंधन पहले हो चुका है उन व्यावसायिक वाहनों को फिटनेस नहीं मिलने की स्थिति में परमिट स्वत: रद्द हो जाएगा। इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 30.3.2018)**

Traders protest currency shortage

The Eastern Bihar Chamber of Commerce and Industry (EBCCI), Bhagalpur a body of traders in this silk city, has expressed concern over currency shortage in banks affecting more than 35per cent business here.

It has dacided to write to the Reserve Bank of India (RBI) for maintaining sufficient currency flow to the banks to restore normality.

Bhagalpur and its adjoining districts have been reeling from acute currency crunch, which has its adverse effects on banking services.

(Details : The Telegraph , 6.4.2018)

जीएसटी से बिजली शुल्क बाहर

बिहार विद्युत शुल्क विधेयक-2018 को विधान परिषद में दिनांक 2.4.2018 को मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही 1948 के विद्युत शुल्क कानून को निरस्त करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया। उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्य कर मंत्री सुशील मोदी ने सदन को बताया कि पुराने कानून के तहत बिजली की बिक्री के प्रत्येक चरण पर विद्युत शुल्क लगता है। नए विधेयक में

इस व्यवस्था को समाप्त कर केवल अंतिम चरण में उपभोक्ता से विद्युत शुल्क लेने की व्यवस्था की गई है। उनके मुताबिक, पूर्व की भाँति नए अधिनियम में भी विद्युत शुल्क को जीएसटी से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। विद्युत शुल्क से सालाना 300 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह की उम्मीद है। चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी तक 174 करोड़ रुपये वसूल हुए हैं।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में विद्युत उत्पादन का क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का पाँच कंपनियों में विभाजन भी हो चुका है। अब हम सीधे खुले बाजार से बिजली की खरीद कर सकते हैं। ऐसे में आवश्यक था कि नई जरूरतों के मद्देनजर अधिनियम में बदलाव किए जाएँ। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य पहले ही अपने विद्युत शुल्क अधिनियम में परिवर्तन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस नए विद्येयक के पारित होने से जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा । पुराने और नए एक्ट की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि फर्क यह है कि 1948 के कानून में निजी क्षेत्र का उल्लेख नहीं था। पहले ऊर्जा की बिक्री करने वाले और इसका उपभोग करने वाले, दोनों पर ही टैक्स लगता था, अब केवल उपभोग करने वाले को शुल्क देना होगा। पुराने एक्ट में पावर ट्रेडिंग और एक्सचेंज आफ पावर का प्रावधान नहीं था, जबकि नए प्रस्तावित विधेयक में इनका स्पष्ट जिक्र है। **(साभार : दैनिक जागरण, 3.4.2018)**

व्यापार घाटा समझने के लिए सबसे पहले हमें भुगतान संतुलन की अवधारणा को समझना होगा

वित्त वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसम्बर) में हमारे देश का 'चालू खाते का घाटा 'बढ़कर जीडीपी के दो फीसद के बराबर हो गया है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव बढ़ा तो यह और ऊपर जा सकता है। इधर अमेरिका सहित कुछ देशों ने अपना 'व्यापार घाटा' कम करने के लिए संरक्षणवादी नीतियाँ अपनाई हैं, जिससे ट्रेड वार की स्थिति बन गई है। ऐसे में यह जानना उपयोगी होगा कि व्यापार घाटा और चालू खाते का घाटा क्या है और इनमें उतार-चढ़ाव अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है।

चालू खाते का घाटा और व्यापार घाटा समझने के लिए सबसे पहले हमें भुगतान संतुलन की अवधारणा को समझना होगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के अनुसार भुगतान संतुलन एक स्टेटिस्टीकल स्टेटमेंट है, जो एक देश के निवासियों के अन्य देशों के साथ एक निश्चित अवधि में किए गए आर्थिक लेन-देन का सार प्रस्तुत करता है। निवासी का आशय देश के नागरिकों से नहीं बल्कि उन व्यक्तियों या कंपनियों से है जिनका आर्थिक हित उस देश में है। सरल शब्दों में कहें तो एक देश के निवासी व्यक्ति या कंपनियाँ और वहाँ की सरकार एक साल या तिमाही के भीतर अन्य देशों के साथ जब वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का आयात-निर्यात करते हैं तो आंकड़ों के रूप में दिए गए उसके सार को भुगतान संतुलन कहते हैं। जब किसी देश का भुगतान संतुलन डगमगाता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। नब्बे के दशक के शुरू में जब भारत में भुगतान संतुलन का संकट गहराया तो सरकार को संकट से उबरने के लिए उदारीकरण और आर्थिक सुधारों की शुरूआत करनी पड़ी थी।

क्या होता है पूंजी खाता : भुगतान संतुलन का दूसरा अहम अंग है पूंजी खाता। इसमें एक देश से दूसरे देश के बीच कैपिटल ट्रांसफर और गैर-उत्पादित, गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे-दूतावासों को जमीन की बिक्री, लीज और लाइसेंस की बिक्री आदि लेन-देन शामिल है।

क्या है वित्तीय खाता : भुगतान संतुलन, का तीसरा भाग है वित्तीय खाता। इस खाते में वे सभी लेन-देन आते हैं जो वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश या कर्ज से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ), पोर्टफोलियो निवेश और कुछ अन्य निवेश व रिजर्व असेट्स शामिल है। जब चालू खाते की घाटा बढ़ जाता है तो वित्तीय खाते के तहत उधार लेकर या विदेशी पूंजी निवेश के जरिये उसे पाटने की कोशिश की जाती है।

हमारे देश में रिजर्व बैंक भुगतान संतुलन के आंकड़े जारी करता है। इसमें चालू खाते के घाटे का ब्योरा दिया जाता है। व्यापार घाटे के आंकड़े वाणिज्य, मंत्रालय आयात और निर्यात के आंकड़ों के साथ जारी करता है।

भुगतान संतुलन के तीन खाते : जब एक देश के निवासी दूसरे देशों के साथ आर्थिक लेन-देन करते हैं तो भुगतान संतुलन में उन्हें तीन खातों– चालू खाता, पूंजी खाता और वित्तीय खाता के रूप में दर्ज किया जाता है।

क्या होता है चालू खाते का घाटा : चालू खाते में मुख्यत: तीन प्रकार के लेन-देन शामिल हैं। पहला, वस्तुओं व सेवाओं का आयात-निर्यात, दूसरा- कर्मचारियों और विदेशी निवेश से आमदनी व खर्च और तीसरा करंट ट्रांसफर जैसे विदेशों से मिलने वाली अनुदान राशि, उपहार और विदेश में बसे कामगारों द्वारा भेजे जाने वाली रेमिटेंस की राशि। जब इन तीनों प्रकार के लेन-देन को डेबिट (व्यय) और क्रेडिट (आय) के रूप में दो कॉलम बनाकर उनका अंतर निकाला जाता है तो उसे 'चालू खाते का संतुलन' कहते हैं। अगर यह अंतर नकारात्मक है, तो इसे चालू खाते का घाटा कहते हैं। सकारात्मक होने पर इसे चालू खाते का सरप्लस कहा जाता है। चालू खाते के घाटे में उतार चढ़ाव का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर पर भी असर पड़ता है। यही वजह है कि इसे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। चालू खाते के घाटे में सबसे बड़ा हिस्सा व्यापार घाटे का होता है।

क्या होता है व्यापार घाटा : आयात-निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। जब किसी देश की निर्यात से आय की तुलना में आयात पर खर्च अधिक रहता है तो वह अंतर 'व्यापार घाटा' कहलाता है। उदाहरण के लिए चीन, स्विटजरलैंड, सऊदी अरब, इराक और इंडोनेशिया जैसे देशों से भारत आयात अधिक करता है, जबकि इन देशों को निर्यात कम होता है। इस तरह इन देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा है। हालाकि जब किसी देश का आयात पर खर्च कम और निर्यात से आमदनी अधिक होती है तो उसे 'ट्रेड सरप्लस' कहते हैं। अमेरिका, वियतनाम और नेपाल जैसे देशों के साथ भारत का 'ट्रेड सरप्लस' है।

(साभार : दैनिक जागरण, 9.4.2018)

आरटीआई (सूचना का अधिकार)

सूचना के अधिकार के तहत दायर अर्जियों की गैर निष्पादित संख्या साल 2012-13 से 2016-17 के दौरान 182% बढ़ी है

2012-13	75,331	2015-16	1,88,538
2013-14	1,28,447	2016-17	2,12,448
2014-15	89,785		

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 4.4.2018)

बीमा योग्य कर्मचारियों का निबंधन जरूरी, ताकि मिल सके लाभ

बीमा योग्य कर्मचारियों का निबंधन अनिवार्य है, ताकि कर्मचारियों को किसी भी आकस्मिता का लाभ मिल सके। इसे लेकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) ने नियोक्ताओं को पत्र लिखकर कहा है कि अपने कर्मचारियों का निबंधन हर हाल में कराएँ, नहीं तो कार्रवाई होगी। मिली जानकारी के अनुसार सूबे में आधे से अधिक नियोक्ता या नियोजकों ने अपने यहाँ कार्यरत अधिकांश कर्मचारियों का निबंधन नहीं कराया है। जिसके कारण कर्मचारियों को आकस्मिता का लाभ नहीं मिल पाता है। जबकि ईएसआइसी समय-समय पर नियोजकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर इसकी जानकारी भी देता है। कर्मचारियों का निबंधन नहीं होने से छोटी या बड़ी दुर्घटना होने पर निगम के स्कीम का फायदा नहीं मिल पाता है। जबकि आकस्मिता स्कीम के काफी फायदे हैं। इस स्कीम के तहत अगर कर्मचारियों को फॉर्म आने से जाने लेकर फॉर्म में काम करने के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्धटना हो जाती है तो उसके उपचार का खर्च ईएसआइसी उठती है।

अगर कर्मचारी अपने ड्यूटी के दौरान घायल हो जाता है तो उसके उपचार के लिए वेतन का 90% अवकाश का पैसा मिलेगा। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो वेतन का 90 % पेंशन उसके आश्रित परिवार को मिलता है।

"विशेष रूप से बीमित कर्मचाारियों सड़क या कार्यस्थल दुर्घटना तथा प्राणघातक बीमारी की स्थिति में लाभार्थी सीधे नजदीक के ईएसआई टाई अप अस्पताल में जाकर कैशलेस चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं। कर्मचारियों को ईएसआई का ई पहचान पत्र नौकरी में आते ही दिया जाना चाहिए तथा कर्मचारियों को इसे साथ रखना चाहिए। बीमित कर्मचारियों के हित में सभी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रहीं है।"

– **अरविन्द कुमार,** अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआइसी

(साभार : प्रभात खबर, 12.4.2018)

जेम पोर्टल से सरकारी खरीदारी हुई अनिवार्य

डिप्टी सीएम ने लॉन्च किया जेम पोर्टल व सीएफएमएस

- जेम पोर्टल के जरिये सचिवालय से जुड़े कार्यालय 50 हजार तक की खरीदारी त्वरित व पारदर्शी तरीके से करेंगे
- सीएफएमएस लागू होने से ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे लाभुकों के खाते में पहुँचेगी सरकारी राशि

सरकारी खरीद के लिए दिनांक 4 अप्रैल 2018 को सचिवालय स्थित सभागार में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने जेम पोर्टल (गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस) और समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) को लॉन्च किया।

उन्होंने कहा कि जेम के जरिए सचिवालय से जुड़े कार्यालय 50 हजार रुपये मूल्य तक की सामग्री की खरीदारी त्वरित व पारदर्शी तरीके से करेंगे। वहीं पहली अप्रैल से सीएफएमएस लागू होने से ई-पेमेंट के माध्यम से सरकारी राशि सीधे लाभुको के खाते में पहुँचेगी। इसके अलावा ई-रिसीट से कोई भी व्यक्ति सरकारी खाते में ऑनलाइन राशि जमा कर सकेगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएफएमएस के माध्यम से वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता आएगी व लाभुकों को तुरन्त भुगतान के साथ समय की भी बचत होगी। इससे राज्य के बजट निर्माण, अकाउंटिंग और आवंदित राशि के खर्चों का हिसाब-किताब रखने में विभागों को मदद मिलेगी। सीएफएमएस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार के 44 विभाग ई-बिलिंग के माध्यम से ट्रेजरी से निकासी करेंगे। ई-साइन के जरिए वाउचर हस्ताक्षरित किया जाएगा। कागजी कार्रवाई में लगने वाले समय की बचत होगी।

उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को क्रमिक रूप से चार चरणों में लागू किया जाएगा। प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए 30 हजार से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा व सभी विभागों के 10 हजार से ज्यादा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इसके माध्यम से वित्तीय लेन-देन करेंगे।

इसी प्रकार जेम पोर्टल एक तरह से ऑनलाइन ई-मार्केट प्लेस है। पहले चरण में सचिवालय से जुड़े कार्यालय 50 हजार रुपये तक की खरीददारी इस पोर्टल के जरिए करेंगे। 50 हजार से 30 लाख तक की खरीदारी निविदा के माध्यम से होगी। खरीद होने के बाद विक्रेता को भुगतान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, बल्कि सामग्री प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर कंन्साइनी रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट (सीआरएसी) जारी नहीं किए जाने पर मूल्यांकित राशि का 80 फीसद स्वत: बिक्रेता के खाते में चली जाएगी। अगले 30 दिन के बाद शेष 20 फीसद राशि भी विक्रेता को मिल जाएगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 5.4.2018)**

आधार की जगह आ गया वर्चुअल आइडी नंबर

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने बहुप्रतीक्षित वर्चुअल आइडी का बीटा वर्जन जारी कर दिया है। प्राधिकरण पहले ही कह चुका है कि सत्यापन के उद्देश्य से सेवा प्रदाताओं के लिए एक जून, 2018 से आधार नंबर के स्थान पर 16 अंकों वाली वर्चुअल आइडी को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। साफ है कि अब कई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर नहीं देना होगा। निजता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए यूआइडीएआइ ने जनवरी में वर्चुअल आइडी लाने की घोषणा की थी।

सरल शब्दों में कहें तो इस नए फीचर से आधार धारक को प्रमाणीकरण और सत्यापन के लिए 12 अंकों का अपना आधार नंबर बताने के बजाय सिर्फ 16 अंकों का वर्चुअल आइडी नंबर ही बताना होगा। यूआइडीएआइ के मुताबिक, यूजर अपनी वीआइडी खुद ही जनरेट कर सकेंगे। वीआइडी की वैधता सिर्फ एक दिन के लिए ही होगी।

क्या है वीआइडी : आधार वर्चुअल आइडी एक तरह का अस्थायी नंबर है। इसमें कुछ ही विवरण होंगे। अगर किसी को कहीं अपने आधार का विवरण देना है तो वह आधार की जगह वीआइडी नंबर दे सकता है।

(साभार : दैनिक जागरण, 4.4.2018)

ई-वे बिल की जाँच 30 मिनट में करनी होगी

बिहार में अंतरराज्यीय माल परिवहन के दौरान 'ई-वे बिल' की जाँच 30 मिनट में पूरी करनी होगी। ज्यादा देर तक माल लदा वाहन रोके जाने पर ड्राइवर या एजेंसी की शिकायत पर जाँच अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य कर विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ई-वे बिल की जाँच निर्धारित समय में पूरी करें।

माल लदे वाहन को अनावश्यक रूप से सड़क पर रोकने की कोशिश नहीं करें। वाणिज्य-कर विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी के अनुसार 'ई-वे बिल' की जाँच के लिए विभाग उड़नदस्ता बनाएगा। उड़नदस्ता विभिन्न अंचलों में औचक जाँच करेगा। अधिकारी किसी भी समय कहीं भी जाँच कर सकते हैं। माल परिवहन के दौरान 'ई वे बिल' नहीं प्रस्तुत किए जाने पर माल परिवहनकर्ता व भेजने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राज्य में दो लाख व्यवसायी है जीएसटी के तहत निबंधित : बिहार में करीब दो लाख व्यवसायी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत निर्बंधित हैं। वहीं, दो सौ ट्रांसपोर्टर एवं व्यवसायियों ने ई-वे बिल के लिए अपना निबंधन कराया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 5.4.2018)**

ज्वैलरी के परिवहन के लिए जरूरी नहीं ई-वे बिल

रोजमर्रा की चीजों व करेंसी समेत 150 वस्तुओं को ई-वे बिल से छूट एक अप्रैल से लागू हो गया है इंटर स्टेट ई-वे बिल

जीएसटी काउंसिल ने ज्वैलर्स को बड़ी राहत देते हुए ज्वैलरी और कीमती रत्नों को ई-वे बिल से छूट दी है। ज्वैलरी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ई-वे बिल जेनरेट करने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह रोजमर्रा की जरूरत की चीजों तथा करेंसी नोट सहित डेढ़ सौ से अधिक चीजों के लिए भी ई-वे बिल लेना आवश्यक नहीं होगा।

एक अप्रैल से देशभर में अंतरराज्यीय व्यापार के लिए जीएसटी के तहत ई-वे बिल की व्यवस्था लागू हो गयी है। इसके तहत व्यापारियों को 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य की वस्तु की अंतरराज्यीय दुलाई के लिए एक ई-वे बिल जेनरेट कर साथ रखकर चलना जरूरी है। हालांकि कर्नाटक को छोड़ बाकी राज्यों के भीतर व्यापार के लिए ई-वे बिल लागू नहीं किया गया है। सरकार ने यह कदम जीएसटी चोरी रोकने के इरादे से उठाया है। केन्द्र और राज्यों के अधिकारियों ने इस तरह की आशंका व्यक्त की थी कि ई-वे बिल की व्यवस्था लागू न होने की वजह से कुछ व्यापारी टैक्स चुकाने से बच रहे हैं। जीएसटी लागू होने के बाद अलग-अलग राज्यों में एसे मामले पकड़े भी गए हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 4.4.2018)

छोटे उद्योगों को प्रदूषण एनओसी जरूरी नहीं

पाँच लाख से कम लागत वाले उद्योगों के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र जरूरी नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है। बोर्ड ने बताया है कि प्रदूषण कानून के तहत 5 लाख से कम लागत के कुटीर उद्योग चलाने के लिए प्रदूषण सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। पाँच लाख से ऊपर के उद्योग बगैर प्रदूषण सर्टिफिकेट के नहीं चल सकते।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन तथा न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने गया के मानपुर के बुनकर सेवा समिति की लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान बोर्ड ने यह जानकारी दी। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के बाद कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया। गौर हो कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदूषण सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र लिए बिना क्षेत्र में उद्योग चल रहा था। प्रशासन ने जांच कर पाँच लाख से ऊपर के 31 उद्योगों को बंद करा दिया था।

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.4.2018)

सिर्फ जमा हो रहे आवेदन, नगर निगम में ऑनलाइन नक्शे नहीं हो रहे पारित

नगर निगम में मकान हो या फिर अपार्टमेंट, नक्शा पारित करने को लेकर भाग-दौड़ नहीं करनी पडे, इसको लेकर 15 जनवरी से नगर निगम प्रशासन ने नक्शा पारित करने की व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया। ऐसा इसलिए किया

गया ताकि बिल्डर व आम आदमी घर बैठे नक्शा स्वीकृति आवेदन जमा कर सकें और घर बैठे ही रिपोर्ट ले सकें।

15 जनवरी से सिर्फ ऑनलाइन आवेदन आ रहे हैं। लेकिन, निगम प्रशासन ने ढाई माह में एक भी ऑनलाइन नक्शा की स्वीकृति नहीं दी है।

80 से अधिक आये हैं आवेदन : 15 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 80 से अधिक नक्शा पारित करने के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये है। इनमें 60 प्रतिशत से अधिक आम लोगों ने मकान के नक्शा का आवेदन दिया है। इसके अलावा बिल्डरों का नक्शा है। लेकिन, सॉफ्टवेयर में त्रुटि होने की वजह से नक्शा स्वीकृति में काफी दिक्कत हो रही है। स्थिति यह है कि एक भी नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया है।

गलत सूचना देने पर नहीं होता आवेदन रिजेक्ट : नये बिल्डिंग बायलॉज में प्रावधान किया गया है कि तीन सौ स्क्वायर मीटर में मकान बनाने वालों को नक्शा स्वीकृत करवाना अनिवार्य नहीं है। लेकिन, मकान बनाने की सूचना ऑथोरिटी को देनी है। प्लानिंग शाखा के अधिकारी ने बताया कि तीन सौ स्क्वायर मीटर में मकान बनाने वाले लोग ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सही लोकेशन नहीं दे रहे हैं।

आवेदन में दिये लोकेशन का निरीक्षण करने पर वहाँ कोई मकान नहीं बन रहा होता है। आलम यह है कि सॉफ्टवेयर में कई त्रुटियाँ हैं, जिससे गलत जानकारी देने पर आवेदन रिजेक्ट नहीं होता है। इससे अधिकारियों को नक्शा पारित करने में दिक्कत हो रही है। **(साभार : प्रभात खबर, 4.4.2018)**

वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा सस्ता, प्रीमियम घटा

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने 2018-19 के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम घटा दिया है। इरडा की ओर से बीते 28 मार्च को जारी सर्कुलर के अनुसार इंश्योरेंस प्रीमियम के नए रेट्स एक अप्रैल से लागू हो गए हैं। इससे लोगों को पहले की तुलना में अब कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस : मोटर वाहन कानून के तहत थर्ड पार्टी बीमा का प्रावधान काफी पहले ही लागू किया गया है। इसे थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर के नाम से भी जाना जाता है। यह तीसरे पक्ष के बीमा से संबंधित है। जब मोटर वाहन से कोई दुर्घटना होती है तो कई बार इसमें बीमा कराने वाला व बीमा कंपनी के अलावा एक तीसरा पक्ष भी शामिल होता है, जो प्रभावित होता है। यह प्रावधान इसी तीसरे पक्ष यानी थर्ड पार्टी के दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.4.2018)**

नवादा में लगेगा दो इकाइयों वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय तैयार, राज्य कर रहा अध्ययन : उद्योग मंत्री

उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने 5 अप्रैल 2018 को संवाददाता सम्मेलन में राज्य में हुए निवेश की जानकारी देते हुए बताया कि नवादा में 670 मेगावाट की दो इकाइयों वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेगा। इससे राज्य में 70 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) के प्रबंध निदेशक आर. एस. श्रीवास्तव ने कहा कि न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया यह प्लांट लगाएगी। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. शेखर बसू ने पिछले दिनों सहमति प्रदान कर दी है। इसके लिए नवादा में एक हजार एकड़ जमीन चिह्नित की गई। यह व्यवस्था भी केन्द्र सरकार ने कर दी है कि इसकी बिजली सीधे सेंट्रल सेक्टर को जाएगी, राज्य सरकार को खरीदने की बाध्यता नहीं रहेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट के इस प्रस्ताव का अभी राज्य का ऊर्जा विभाग अध्ययन कर कर रहा है।

नए उद्योग लगाने के मोर्चे पर बिहार अव्वल : उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि नए उद्योग लगाने के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में बिहार सबसे आगे है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 की 'ईज आफ डूईंग बिजनेस' की सर्वेक्षण रिपोर्ट के हवाले से कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार में 50 नई इकाइयाँ लगी। पहले से कार्यरत इकाइयों की तुलना में यह 80 प्रतिशत से अधिक है, जबकि पंजाब में नए उद्योग लगने की रफ्तार 10 फीसद से भी कम है। यह हमारी नई औद्योगिक नीति का परिणाम है, जिसकी हाल के दिनों में कई राज्यों ने प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि बियाडा के प्रबंध निदेशक को उद्योग के लिए जमीन खरीदने, जमीन के सही उपयोग होने की जाँच, अतिक्रमण हटाने आदि के अधिकार दिए गए हैं। ऐसे में अब हमें लैंड बैंक की नीति लाने की आवश्यकता नहीं है। लैंड बैंक के पास उपलब्ध 162 एकड़ जमीन बियाडा को मिल जाएगी। वहीं बंद पड़ी चीनी मिलों की 2265 एकड़ जमीन भी बियाडा को मिलेगी। इसकी कीमत का आकलन हो रहा है। बियाडा इसकी कीमत का भुगतान करेगा।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 6.4.2018)

बिल्डरों को 3 माह पर देना होगा आय-व्यय का ब्योरा

• फ्लैट खरीदार की शिकायत का 60 दिन में होगा निपटारा • रेरा के अध्यक्ष और सदस्य पहली बार मुखातिब हुए प्रेस से • 05 बिल्डरों ने ही अब तक कराया है निबंधन • 30 अप्रैल तक निबंधन की बढ़ाई गई है तिथि

रीयल इस्टेट रेगुलेटी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह ने कहा कि बिल्डरों को हर तीन महीने पर आय-व्यय का ब्योरा देना होगा। फ्लैट खरीदने वाले से लिए गए उतने ही पैसे की निकासी वह बैंक से कर सकेंगे, जितना काम करना है। इसके लिए उन्हें इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउन्टेंट का ब्योरा देना होगा।

फ्लैट खरीदने वाले की किसी भी शिकायत का निपटारा रेरा में 60 दिन के अंदर किया जाएगा। रेरा के गठन के बाद पहली बार दिनांक 5 अप्रैल 2018 को चेयरमैन के साथ दोनों सदस्य आर. बी. सिन्हा और डॉ. एस. के. सिन्हा ने प्रेस से बात की। उन्होंने कहा कि जिस प्रोजेक्ट के नाम पर बिल्डर खरीदार से पैसा लेंगे उसी पर खर्च भी करना होगा। कम से कम 70 प्रतिशत राशि खर्च करनी होगी। हर तीन महीने पर आमदनी और खर्च की रिपोर्ट देनी होगी।

राज्य में अब तक मात्र पाँच बिल्डरों ने रेरा में निबंधन कराया है। 99 आवेदन आए हैं। जल्द ही उनका भी निबंधन कर लिया जाएगा। किसी भी खरीदार की शिकायत तभी सुनी जाएगी जब वह किसी निर्बंधित बिल्डर से फ्लैट खरीदेगा। उन्होंने कहा कि पाँच सौ वर्गमीटर से अधिक जमीन पर या आठ फ्लैट से अधिक के निर्माण करने वाले हर बिल्डर को रेरा में निबंधन कराना अनिवार्य है। निबंधन के लिए तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। यह अंतिम समय है। इसके बाद बिल्डरों पर कार्रवाई शुरू होगी। यह कानून बिल्डरों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे खरीदार और विक्रेता दोनों के हितों की रक्षा होती है। **(हिन्दुस्तान 6.4.2018)**

निगम क्षेत्र में व्यापार के लिए लेना होगा ट्रेड लाइसेंस

पटना शहरी क्षेत्र में व्यापार से पहले नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग नगर विकास विभाग से की गई है। यह मांग नगर आयुक्त ने विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद से की है।

अपने पत्र में नगर आयुक्त ने कहा कि निगम बोर्ड की बैठक में निगम से ट्रेड लाइसेंस लेने के प्रावधान को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 342 के तहत भी निगम क्षेत्र में व्यापार शुरू करने से पहले ट्रेड लाइसेंस लेने का प्रावधान है।

उन्होंने प्रधान सचिव से इस प्रस्ताव को बिहार सरकार के गजट में प्रकाशित करने के लिए अनुमोदन देने की मांग की। **(साभार : हिन्दुस्तान, 18.3.2018)**

सिल्क इंडस्ट्री के विकास योजना को मिली मंजूरी

केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सेक्टर की योजना 'सिल्क इंडस्ट्री के विकास के लिए एकीकृत योजना' को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 2017-18 से 2019-20 तक अगले तीन वर्षों के लिए इस योजना को मंजूरी दी है।

यह योजना केन्द्रीय सिल्क बोर्ड (सीएसबी) के माध्यम से मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। इस योजना से 2016-17 के दौरान हुए 30 हजार 348 मीट्रिक टन रेशम उत्पादन को 2019-20 के अंत तक 38 हजार 500 मीट्रिक टन तक पहुँचने की संभावना है। इस योजना के तहत भारतीय रेशम के ब्रांड संवर्धन को न केवल घरेलू बाजार में बल्कि निर्यात बाजार में सिल्क मार्क द्वारा गुणवत्ता प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 5.4.2018)**

बिजली परियोजनाओं की निगरानी करेगी कमेटी

बिजली परियोजनाओं की निगरानी विशेष कमेटी करेगी। जिला स्तरीय बनी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी (दिशा) निगरानी करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से गठित यह कमेटी केन्द्रीय बिजली परियोजनाओं की नियमित तौर पर समीक्षा भी करेगी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्यिक) डी. रवि की ओर से हाल ही में पत्र जारी किया गया है। इसमें बिहार सहित देश के सभी राज्यों को आवश्यक निर्देश दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना पर नजर रखने के लिए दिशा का गठन ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से किया गया है। इसमें जिले के सांसदों को शामिल किया गया है। एक से अधिक सांसद होने पर वरीय सांसद इस कमेटी का नेतृत्व करेंगे। जबकि सरकार की ओर से जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को कमेटी में शामिल किया गया है। यह कमेटी इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) और रि-स्ट्रक्चर्ड एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट रिफॉर्म्स प्रोग्राम (आरएपीडीआरपी) के तहत चल रही बिजली परियोजनाओं की निगरानी करेगी। इन योजनाओं के तहत आईटी आधारित बिजली परियोजनाओं पर काम हो रहा है। हर तीन महीने पर योजनाओं की समीक्षा करेगी 'दिशा'

साथ ही राज्य के 133 से अधिक शहरों में बिजली की अन्य बुनियादी संरचनाओं पर काम हो रहा है। इन योजनाओं की समीक्षा हर तीन महीने पर दिशा करेगी। आईपीडीएस के नियमानुसार राज्य स्तरीय गठित डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स कर्मटी भी बिजली परियोजनाओं की निगरानी करेगी। योजनाओं की निगरानी का मूल मकसद है कि इसे ससमय पूरा किया जाए। साथ ही कार्य की गुणवता को भी बेहतर रखा जा सके। **(साभार : हिन्दुस्तान, 6.4.2018)**

300 करोड़ से बनेगा जैन-बौद्ध सर्किट

राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों का कायाकल्प होने वाला है। इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से राशि भी जारी कर दी गई है। पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने राज्य में धार्मिक सर्किट निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जिन सर्किट के निर्माण की अनुमति दी है उनमें जैन, बौद्ध, कांवड़िया, मंदार और गाँधी सर्किट शामिल हैं। सरकार चंपारण सत्याग्रह से जुड़े 15 स्थलों को जोड़कर गाँधी सर्किट विकसित करेगी। मुख्य आकर्षण थीम पार्क होगा। स्वदेश योजना के तहत मंजूरी दी गई है। जैन सर्किट में 52.39 करोड़ रुपये की लागत से वैशाली-आरा-मसद-पटना-राजगीर-पावापुरी और चंपापुरी मार्ग के किनारे विकास की योजना तय किया गया है। जबकि बौद्ध सर्किट में 145 करोड़ रुपये की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण होगा। कांवड़िया सर्किट में 52.39 करोड़ रुपये की लागत से सुलतानगंज-धर्मशाला-देवघर मार्ग पर मूलभूत सुविधाएँ विकसित की जाएँगी। गाँधी सर्किट में भितिहरवा और चंद्रहिया मार्ग का चयन किया गया है।

गाँधी का तैयार होगा सर्किट : केन्द्र सरकार ने दूरिज्म रोडमैप में इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। थीम पार्क को बापू के चश्मे के आकार में विकसित करने की योजना बनी है। यहाँ बापू और चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी सामग्री और तथ्यों को जीवंत रूप में प्रदर्शित करने की योजना बनी है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) में महात्मा गाँधी की कर्मभूमि से जुड़ीं यादों के संरक्षण और संवर्धन के लिए मोतिहारी के चंद्रहिया और पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा में थीम पार्क बनेगा। पं. राजकुमार शुक्ला का घर बड़हरवा लखनसेन, मधुबन का विद्यालय, लोमराज सिंह का गाँव और जहाँ-जहाँ महात्मा गाँधी गए थे, वे सभी जगह सर्किट से जुड़ेंगे।

"केन्द्र सरकार से चार सर्किट में पड़ने वाले मार्ग के किनारे मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए करीब 300 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है।"

– **प्रमोद कुमार**, पर्यटन मंत्री, बिहार

(साभार : आई नेक्स्ट, 4.4.2018)

चैम्बर के भूतपूर्व महामंत्री श्री ओम प्रकाश डालमिया का निधन

चैम्बर के भूतपूर्व महामंत्री श्री ओम प्रकाश डालमिया का निधन दिनांक 23 अप्रील 2018 की रात्रि में कोलकाता में हो गया। चैम्बर प्रांगण में दिनांक 25 अप्रील 2018 को एक शोक सभा आयोजित कर स्वर्गीय डालमिया जी को श्रद्धांजलि दी गयी।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने दूरभाष पर अपने शोक संदेश में कहा कि स्वर्गीय ओम प्रकाश डालमिया जी स्वभाव से काफी अच्छे और मिलनसार व्यक्ति थे। उनके महामंत्रित्व काल में उनके द्वारा कई अच्छे कार्य हुए जो चैम्बर के इतिहास में सदैव अंकित रहेगा। उन्होंने ईश्वर से स्वर्गीय डालमिया के आत्मा की चिरस्थाई शांति हेतु प्रार्थना की।

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि श्री ओम प्रकाश डालमिया जी अपने दवा की दुकान ''पुनम इन्टरप्राइजेज'' पटना से 04 सितम्बर 1986 में चैम्बर की सदस्यता ग्रहण की थी। उस साल चैम्बर अपनी स्थापना के 60 साल पूरे होने पर ''हीरक जयंती'' मना रहा था।

श्री ओम प्रकाश डालमिया जी ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में चैम्बर के महामंत्री के पद को सुशोभित किया। डालमिया जी सरल स्वभाव के मिलनसार एवं स्पष्टवादी व्यक्ति थे।

उनके कार्यकाल में चैम्बर में कई कार्य हुए। उन कार्यों के लिए डालमिया जी चैम्बर सदस्यों के दिल में बने रहेंगे। सर्व शक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना है कि डालमिया जी की आत्मा को चिर शांति एवं सद्गति प्रदान करें एवं उनके परिजनों को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री मोती लाल खेतान ने अपने श्रद्धांजलि में कहा कि हमारा संबंध डालमिया जी के साथ काफी घनिष्ट था। स्वर्गीय डालमिया जी जिस वक्त चैम्बर के महामंत्री थे उसी वक्त श्री जुगेश्वर पाण्डेय जी चैम्बर के अध्यक्ष थे। पाण्डेय जी डालमिया जी को चैम्बर का अधिक से अधिक काम सौंप देते थे जिसे डालमिया जी सहर्ष कर दिया करते थे। महामंत्री के रूप में उनका कार्यकाल अच्छा रहा।

श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मेरा और स्वर्गीय डालमिया जी का दवा का कारोबार होने के चलते हमदोनों में काफी अच्छी मित्रता थी। डालिमया जी फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसियेशन के फाउण्डर मेम्बर थे। वे काफी मिलनसार व्यक्ति थे।

श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि स्वभाव से स्वर्गीय डालमिया जी काफी अच्छे थे। उन्होंने अपने दवा व्यवसाय का विस्तार कोलकाता तक कर लिया था। वे जो उचित समझते थे वही करते थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि जब डालमिया जी चैम्बर के महामंत्री थे उस समय सदस्य के नाते मेरा चैम्बर में आवागमन शुरू ही हुआ था। डालमिया जी से कुछ आग्रह करने पर वे तुरंत काम करते थे। वे अच्छे और मिलनसार व्यक्ति थे।

इस अवसर पर चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री बी.एन. सिंह एवं श्री रंजीत प्रसाद सिंह भी उपस्थित थे। दो मिनट का मौन रखने के बाद शोक सभा सम्पन्न हुई ।

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296